सत्यमेव जयते

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार

जनता के लिए रिपोर्ट

2011-12

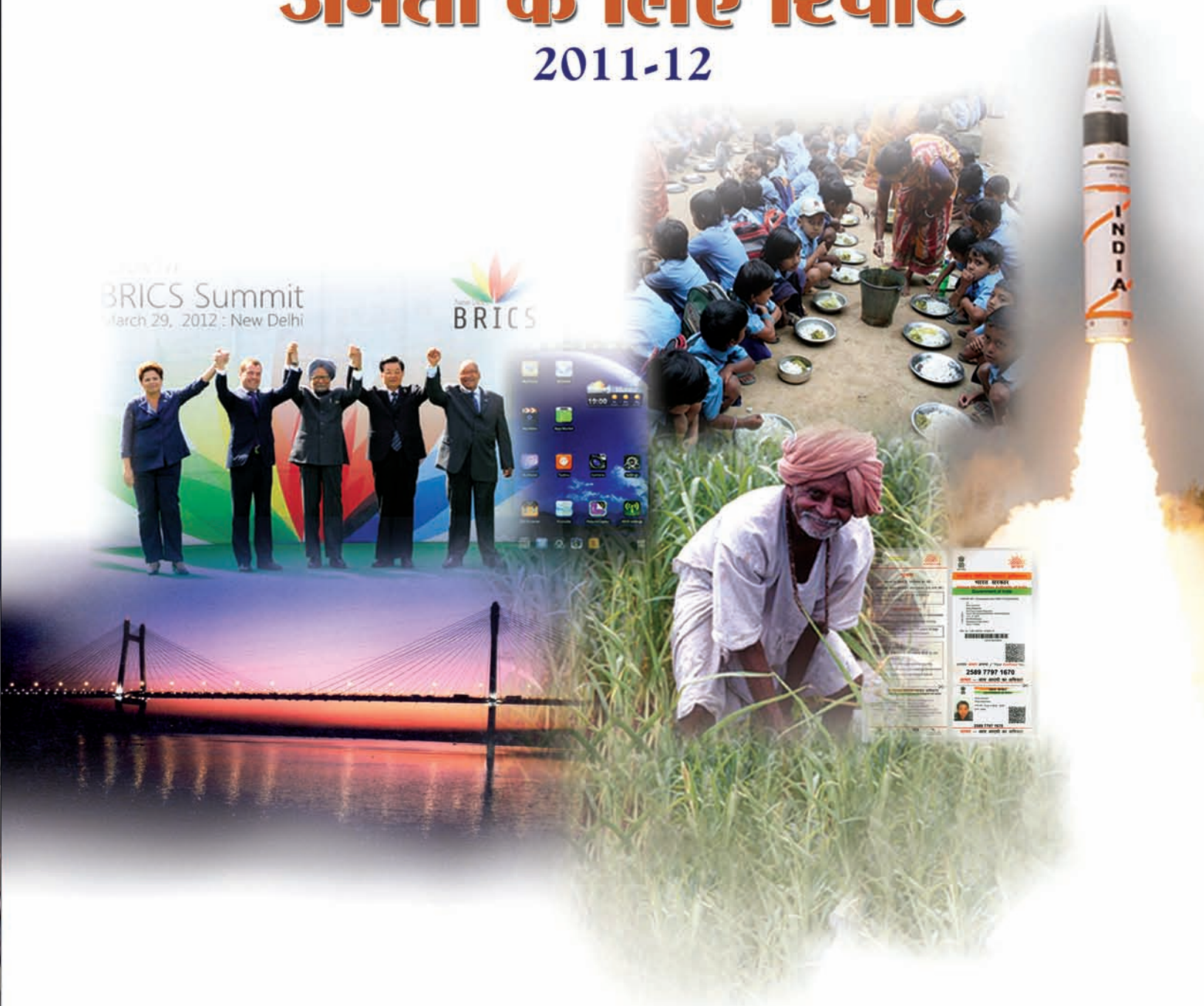

"पोलियो मुक्त भारत – एक वर्ष पूरा होने पर हर्षोल्लास"

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, यूपीए

यूपीए सरकार
जनता के लिए रिपोर्ट
2011-2012

"*आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती देश से गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों को भगाना है। साथ ही, हमें एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में भी काम करना होगा जिसमें गरीबी से हाल में उबरकर बाहर आए हमारे करोड़ों लोगों की समृद्धि की भी उम्मीद शामिल हो। हमें अपना पूरा ध्यान इसी मूलभूत कार्य में लगाना होगा*"

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

"*हमारे कार्यक्रम लाभकारी हैं और नीतियां भी सही हैं। लोकतंत्र में, सुधार के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है। लेकिन हमारी दिशा स्पष्ट है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। अस्थिर करने वाली ताकतों से आइए, हम सब मिलकर लड़ें।*"

श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, यूपीए

सत्यमेव जयते

यूपीए सरकार

जनता के लिए रिपोर्ट

2011-2012

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा आकल्पित एवं प्रकाशित
संकलन : पत्र सूचना कार्यालय
ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, नोएडा द्वारा मुद्रित

विषय सूची

	प्राक्कथन	
1	**प्रस्तावना**	
2	**मानव विकास**	
2.1	शिक्षा	3
2.2	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	7
2.3	बाल विकास और बाल अधिकार	10
3	**सामाजिक समावेश**	
3.1	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	15
3.2	महिलाओं का सशक्तिकरण	15
3.3	कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण तथा विकास	16
3.4	अल्पसंख्यकों के लिए समावेशी कार्यक्रम	17
3.5	असक्षमता से सशक्तिकरण की ओर	19
3.6	वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल	19
3.7	कामगारों का कल्याण	19
3.8	सैनिकों के कल्याण के लिए पहल	20
3.9	वित्तीय समावेश	20
3.10	भूमि अधिग्रहण	21
3.11	जनगणना	21
4	**ग्रामीण नवीकरण**	
4.1	भारत निर्माण	25
4.2	ग्रामीण रोज़गार	26
4.3	किसानों का कल्याण	27
4.4	पंचायती राज	30
5	**शहरों का कायाकल्प**	
5.1	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	33
5.2	जन परिवहन	33
5.3	शहरी गरीबों के लिए आवास	33
5.4	सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल	34

6 आर्थिक पुनरुत्थान

6.1	आर्थिक विकास	37
6.2	निवेश को प्रोत्साहन	37
6.3	राजकोषीय सुदृढ़ीकरण	38
6.4	पूंजी बाजार सुधार	38
6.5	मूल्य स्थिति	38
6.6	माल उत्पादन और सेवाएं	39
6.7	ऊर्जा	44
6.8	परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचा	46
6.9	बुनियादी ढांचा विकास में अन्य पहल	48
6.10	कराधान	49
6.11	वाणिज्य	49
6.12	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	50
6.13	आर्थिक सुधारों के उपाय जारी रखने के रूप में विनिवेश	50

7 पर्यावरण संरक्षण

7.1	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना	53
7.2	वन संरक्षण	53
7.3	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	53
7.4	गंगा स्वच्छता अभियान	53
7.5	बाघ संरक्षण	54

8 नए क्षितिज

8.1	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	57
8.2	अंतरिक्ष कार्यक्रम	58
8.3	सूचना और प्रसारण	59
8.4	पर्यटन	60
8.5	खेल : लंदन ओलिम्पिक्स के लिए तैयारी	60
8.6	संस्कृति	60
8.7	युवाओं का विकास	61
8.8	भारतीय डाक के बढ़ते कदम	61
8.9	आधार	62

9	**आपदा प्रबंधन**	
9.1	आपदा विशिष्ट दिशानिर्देश और आपदा संबंधी चिंताओं को मुख्यधारा से जोड़ना	65
9.2	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल	65
9.3	बाढ़ राहत	65
9.4	प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	65
10	**विशिष्ट विकास जरूरतों पर ध्यान**	
10.1	पूर्वोत्तर	69
10.2	जम्मू और कश्मीर	69
11	**सुरक्षा**	
11.1	आंतरिक सुरक्षा	73
11.2	सीमा सुरक्षा	74
11.3	रक्षा	75
12	**प्रशासन और नागरिक समाज**	
12.1	भ्रष्टाचार निरोधी उपाय	79
12.2	सुधार	79
13	**प्रगाढ़ अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	
13.1	विदेशी मामले	83
13.2	पड़ोसी देश	83
13.3	पूर्वोन्मुख नीति	85
13.4	यूरेशिया	86
13.5	अमरीका	86
13.6	खाड़ी और पश्चिम एशिया	86
13.7	अफ्रीका	86
13.8	यूरोप	86
13.9	वैश्विक मुद्दे	87
13.10	सार्वजनिक कूटनीति और सांस्कृतिक कूटनीति	87
13.11	पासपोर्ट सेवाएं	87
13.12	प्रवासी भारतीय	88

सत्यमेव जयते

प्रधानमंत्री

प्राक्कथन

वर्ष 2009 में देश की जनता ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) को एक बार फिर जनादेश दिया ताकि वह एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण भारत के निर्माण की प्रक्रिया को जारी रख सके। देश में संतुलित और समावेशी सामाजिक तथा आर्थिक विकास का रास्ता अपनाने और प्रत्येक भारतीय को सम्मानजनक और सुखदायी जीवन बसर करने के समान अवसर प्रदान करने वाली हमारी नीतियों के प्रति लोगों ने फिर से विश्वास व्यक्त किया।

अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष में सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों तथा सरकार और राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों को रेखांकित करती हुई 'जनता के लिए रिपोर्ट 2011-12' प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है।

विगत सात वर्षों की तरह ही हमने पिछले वर्ष भी जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कड़ा परिश्रम किया। अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में हमने अच्छी प्रगति की है। इस बात के सबूत हैं कि यूपीए के शासन में उससे पहले के मुकाबले गरीबी में तेजी से गिरावट आई है। वास्तविक कृषि पारिश्रमिक में भी पहले के मुकाबले तेजी से वृद्धि हो रही है। कृषि विकास में तेजी आई है और साथ ही खाद्यान्न का भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।

विश्व अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल रहे वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कुशलता से काम किया है। अधिकांश देश मंदी और बहुत से देश सामाजिक उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं। हमारे यहां भी इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन वर्ष 2011-12 में हमारी वृद्धि लगभग 7 प्रतिशत रही है, जो विश्व में सर्वाधिक दरों में से एक है।

मुझे पूरा विश्वास है कि कठिनाइयों के बावजूद हम पहले की ही तरह उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ने की बात कहते हैं। हमें अपने किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, इंजिनियरों और वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम, प्रतिभा और कुशलता पर भरोसा रखना होगा।

हमारी पहली प्राथमिकता देशवासियों की आर्थिक सुरक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना रही है।

अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने कृषि, ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्रों के लिए धनराशि बढ़ाई तथा आम आदमी तक अन्य सुविधाएं भी पहुंचाई। हमने जो कुछ किया है उसके कुछ खास उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा :

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अब सालाना तौर से हर पांच में से एक परिवार तक पहुंचती है। इस योजना के जरिए हमारे गांवों में अब तक 97,000 से ज़्यादा डाकघरों में पांच करोड़ से भी अधिक खाते खोले गए हैं।
- पिछले वर्ष ग्रामीण डाक जीवन बीमा के तहत ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में 30 लाख से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे विशाल निवेश के नतीजे सामने आ रहे हैं। नवजात शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर जैसे स्वास्थ्य संकेतकों ने लगातार गिरावट दर्शायी है। संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि हुई है। जनवरी 2011 के बाद से

पोलियो का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो-ग्रसित देशों की सूची से हटा दिया है। हम अगली पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्वास्थ्य देखभाल राशि को राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- शिक्षा पर समुचित ध्यान केंद्रित किए जाने से लगभग पांच लाख नए क्लासरूमों का निर्माण हुआ है और 51,000 से ज्यादा नए प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों की शुरुआत हुई है। इसके अलावा, पिछले दो वर्षों में 6.8 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई।

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तहत 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। इससे वे पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

- किसानों के लिए समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि की गई है और हमारे किसानों ने नए जोश में आ कर गेंहू, धान, कपास और दालों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है।

- खाद्य भंडार आज ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर है।

- 2.75 करोड़ सीमांत और लघु किसानों को ₹ 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के ऋण आवंटित किए गए हैं।

अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ सेवा क्षेत्र 9 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि-दर बनाए हुए है और अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां उपलब्ध करा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चार करोड़ से भी अधिक नए टेलीफोन कनेक्शनों सहित पिछले वर्ष लगभग 10 करोड़ नए टेलीफोन कनेक्शनों के साथ भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे दूरसंचार बाजारों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर बना रहा। वर्ष के दौरान 62,000 से भी ज्यादा गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के साथ जोड़ा गया।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने इस वर्ष कारोबार में 100 अरब अमरीकी डॉलर के महत्वाकांक्षी आंकड़े को पार कर लिया। हमारी ई-प्रशासन योजना के तहत सार्वजनिक सेवाएं आसान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उपलब्ध कराने के लिए एक लाख से भी अधिक गांवों को सामान्य सेवा केंद्रों से जोड़ा गया है।

परंतु हम इस बात को लेकर भी सचेत हैं कि अगर हमें सेवा क्षेत्र की तीव्र वृद्धि-दर बनाए रखनी है तो और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। उपयुक्त कुशल श्रमशक्ति का आज काफी अभाव है। सूचना प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में होने वाले व्यापक विस्तार के लिए हमें जिस संख्या में योग्य श्रमशक्ति की ज़रूरत होगी उसके लिए हमें उच्च शिक्षा और कौशल विकास के ढ़ांचे को और मज़बूत बनाना होगा ।

हमारे जैसी तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा-सुरक्षा और ऊर्जा-उपयोग का तरीका अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हम लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाने में लगे हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान हमने 34 लाख नए बीपीएल बिजली कनेक्शन प्रदान किए और लगभग 8,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई। इस दौरान हमने बिजली उत्पादन की लगभग 20,000 मेगावाट नई क्षमता जोड़ी, जो न केवल एक रिकॉर्ड है, बल्कि समूची दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ी गई क्षमता के भी लगभग बराबर है।

तेल-शोधन क्षेत्र में भी हमने भारी प्रगति हासिल की है। बीना और भटिंडा में दो नई रिफाइनरियों ने काम करना शुरू किया, जिससे वर्ष के दौरान तेल शोधन में लगभग 25 एमएमटीपीए क्षमता की वृद्धि हुई। इससे देश में तेल-शोधन की कुल क्षमता बढ़ कर लगभग 213 एमएमटीपीए हो गई।

हम इस बात के प्रति पूरी तरह सचेत हैं कि दीर्घावधि में हमें ऊर्जा उपयोग का ऐसा तरीका अपनाना होगा जो हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक समन्वय को सुरक्षित रखते हुए जारी रह सके। स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार हमारी ऊर्जा-सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है।

हमारी बिजली ग्रिडों से जुड़ी नवीकरणीय - ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 25,000 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें से 5,000 मेगावाट क्षमता 2011-12 के दौरान जोड़ी गई। यह भी एक रिकॉर्ड है। हम पवन, सौर और जैव-ऊर्जा का जिस स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इन प्रयासों से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दूर-दराज की छोटी बस्तियों और गांवों को रोशनी प्रदान कर पा रहे हैं। हम इन प्रयासों को न केवल जारी रखेंगे, बल्कि उनका विस्तार भी करेंगे।

देश के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं को हटाने के लिए यूपीए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लाभ साफ दिखने लगे हैं। इस वर्ष सबसे अधिक परमाणु बिजली का उत्पादन हुआ और परमाणु ईंधन का भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। सात नए परमाणु बिजली घरों का निर्माण चल रहा है। हमारी सरकार इन परमाणु संयंत्रों में सुरक्षा के सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने के प्रति दृढ़संकल्प है। इसी दिशा में परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक 2011 को संसद में पेश किया गया है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके रोजगार बढ़ाने के निरंतर प्रयास हमारी सरकार की समावेशी विकास की नीति की बुनियाद हैं। इन प्रयासों को साकार बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाने वाली अनेक योजनाओं की निगरानी भी बढ़ाई गई है।

यह वर्ष हमारे वैज्ञानिक समुदाय की ओर से स्वदेशी उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल प्रक्षेपण और सभी मौसमों में तस्वीर भेजने में सक्षम रीसेट-1 उपग्रह का निर्माण और प्रक्षेपण ऐतिहासिक उपलब्धियां रहीं जिन्हें हासिल कर हमारे वैज्ञानिकों ने एक बार फिर देश का गौरव बढ़ाया।

हमारे देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रही है। जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा का स्तर नियंत्रण में है। जम्मू-कश्मीर में लंबे समय के बाद पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने विश्वास की पुष्टि की। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार कई संगठनों को लोकतंत्र की मुख्य धारा में लाने में सफल रही। वामपंथी उग्रवाद से जूझ रही राज्य सरकारों के साथ हम लगातार मिल कर काम कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं और मौतों की संख्या घट रही है।

लेकिन, हमें निरंतर सतर्क रहना होगा और उन प्रतिद्वंदियों से हमेशा एक कदम आगे रहना होगा, जो हमारे जीवन के शांतिपूर्ण मार्ग में निरंतर चुनौतियां पेश करते हैं।

विश्व समुदाय के साथ हमारे संपर्क में हो रहे विस्तार और दुनिया में हमारा कद बढ़ने के ही अनुरुप हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मजबूत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में हमने अनेक वैश्विक चुनौतियों को निपटाया है। भारत में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं की ओर ध्यान खींचा है। सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के हमारे ठोस प्रयास लाभदायक रहे हैं जबकि प्रमुख शक्तियों के साथ हमारे संबंध मजबूत और मधुर बने हुए हैं। हमने विकासशील देशों के साथ, विशेषकर अफ्रीका में, विकास के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं।

मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि देश की जनता शासन में और भी अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की मांग करती है, जिसकी वह हकदार भी है। मैं राष्ट्र को इस बात के प्रति आश्वस्त करना चाहता हूं कि यूपीए सरकार सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार और आम नागरिकों के उत्पीड़न में कमी लाने के प्रति दृढ़संकल्प है।

इस लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से हमने कई प्रकार के विधायी और प्रशासनिक उपाय किए हैं।

पिछले दिसंबर में लोकसभा ने एक विस्तृत 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011' पास किया था, जिसे राज्यसभा में पास किया जाना बाकी है। भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की सुरक्षा के लिए लोकसभा ने 'व्हिसिल ब्लोअर्स सुरक्षा विधेयक, 2011' पारित किया।

'सामान एवं सेवाओं को समयबद्ध ढंग से हासिल करने और शिकायतों के निपटारे के लिए नागरिकों का अधिकार विधेयक' से सिटिजन चार्टर को कानूनी स्वरूप प्राप्त होगा जिससे लोगों को उचित समय पर सामान और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा।

मई 2011 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी संधि को अनुमोदित किया। इस संधि का संपूर्ण तौर पर अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोकसभा में 'विदेश सार्वजनिक अधिकारियों और सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों को रिश्वत का निवारण विधेयक, 2011' पेश किया गया।

न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है, न्याय शीघ्र उपलब्ध कराने और न्यायिक प्रणाली को सुगम बनाने में मददगार होगा।

देश कठिन दौर से गुजर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताएं हैं और बाहरी आर्थिक वातावरण प्रतिकूल है। हमारे भुगतान संतुलन और राजकोषीय स्थिति पर दबाव है, जिसका हमें सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना होगा। हमें औद्योगिक विकास की अनिवार्यता तथा स्थानीय लोगों की शंकाओं और चिंताओं के बीच संतुलन बिठाने के व्यावहारिक तरीके ढूंढने होंगे। हमें ऐसे कड़े फैसले लेने होंगे ताकि हम अगली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ ही विकास की गति भी सुनिश्चित कर सकें। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटने के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों, तकनीकों और पद्धतियों को आधुनिक बनाने के लिए आपसी तालमेल मजबूत करना होगा। हमें अपने चारों ओर शांतिपूर्ण वातावरण बनाने की दिशा में काम करना होगा, ताकि हमारे पड़ोसी देश हमारी प्रगति में अपनी समृद्धि की संभावनाएं देख सकें।

इन सब राष्ट्रीय प्रयासों के लिए मुझे सभी लोगों, राज्यों और राजनीतिक दलों के सहयोग और समर्थन की जरूरत है।

अपनी सरकार के नौवें वर्ष में प्रवेश करते हुए, मैं वचन देता हूं कि हम प्रत्येक भारतीय के सशक्तिकरण के लिए, घर-घर तक समृद्धि पहुंचाने के लिए और भारत के प्रत्येक गांव और शहर में बेहतर भविष्य के बीज बोने के अपने अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे।

जय हिंद।

मनमोहन सिंह

(डॉ. मनमोहन सिंह)

नई दिल्ली
11 मई 2012

प्रस्तावना

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार पहली बार 2004 में चुने जाने के बाद से ही हर साल नियमित रूप से अपने गठन के दिन "जनता के लिए रिपोर्ट" प्रस्तुत करती रही है। यह ऐसी परम्परा है जो इससे पहले किसी सरकार ने नहीं अपनाई थी। यूपीए अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा करने के इस अवसर का उपयोग पिछले वर्ष के दौरान हासिल उपलब्धियों को लिपिबद्ध करने के अवसर के रूप में करती है। यह रिपोर्ट किसी प्रचार या प्रसार का दस्तावेज नहीं बल्कि यह लोगों को मौका देती है कि वे अपनी सरकार का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या सरकार अपने वायदे पूरा करने में कामयाब रही है। यूपीए सरकार लोगों को यह बताना अपना पावन कर्तव्य मानती है कि चुनाव के समय गठबंधन के दलों ने मिलकर जो वायदे किए थे उन्हें किस हद तक पूरा किया गया है। "जनता के लिए रिपोर्ट" यूपीए के अनेक, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण, प्रयासों में से एक है जो सरकार के काम को मूल्यांकन के लिए जनता की अदालत में पेश करती है। यह प्रशासन को अधिक पारदर्शी और उदार बनाने के लिए यूपीए द्वारा की गई अनेक कोशिशों में से एक है जो एक सर्वोत्तम कार्य-पद्धति के रूप में स्थापित हो चुकी है और इसका पालन आने वाली सभी सरकारों को करना चाहिए।

यह रिपोर्ट यूपीए-2 के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर पेश की जा रही है। यह समावेशी, न्यायसंगत और समता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए जनता से किए गए वायदे को पूरा करने के लिए यूपीए सरकार के कार्यों का दस्तावेज है।

इसे ज्यादा विस्तृत न बनाते हुए, मगर साथ ही प्रशासन के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए, हर वर्ष प्रयास किया जाता है कि राष्ट्र के समक्ष सभी प्रासंगिक आंकड़े संक्षिप्त रूप से पेश किए जाएं जो खुद पूरी तस्वीर पेश कर दें। रिपोर्ट में इसका कोई विश्लेषण नहीं होता कि सरकार ने क्या किया है, लेकिन जहां कहीं संभव हो पिछले वर्षों से तुलना जरूर की जाती है जिससे लोग खुद मूल्यांकन कर सकें। यह रिपोर्ट कोई राजनीतिक दस्तावेज नहीं बल्कि ऐसी पाण्डुलिपि है जिसका उपयोग मीडिया, विद्वान, विश्लेषक और आम आदमी अपनी सरकार के काम का मूल्यांकन करने के लिए कर सकते हैं।

वर्ष 2011-12 वैश्विक अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के लिए मुश्किल भरा रहा है लेकिन आशा है कि यह रिपोर्ट यह दिखा पाने में सफल रहेगी कि अपनी जनता के बेहतर भविष्य के लिए भारत के प्रयास बदस्तूर जारी हैं।

इस रिपोर्ट में ऐसे बहुत से ठोस उदाहरण मौजूद हैं कि यूपीए सरकार के शासन में पिछले वर्ष करोड़ों लोग कैसे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए। **आजीविका सुरक्षा** हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। ग्रामीण नवीकरण कार्यक्रमों के जरिए गांवों के **सामाजिक समावेश** और विश्व-स्तरीय बुनियादी ढांचे से शहरों के कायाकल्प के साथ हमारी नीतियां भारत के गांवों और शहरों में रहने वाले लगभग प्रत्येक भारतीय के जीवन में सुधार लाने में कामयाब रही हैं।

एक मुश्किल भरे वर्ष के दौरान भी भारत में **उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति** हुई है। हमारी बुनियादी मजबूती में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, हमारे कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है तथा हमारा सेवा क्षेत्र भी हमेशा की तरह सुदृढ़ है।

देश की **ऊर्जा सुरक्षा** के प्रति वचनबद्धता पूरी करते हुए हमने बिजली उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि कर इसे नई बुलंदी तक पहुंचाया है। बिजली उत्पादन में इस बढ़ोतरी का लाभ अब देश के कोने-कोने में लाखों घरों तक पहुंचाया जा रहा है। सामाजिक एवं आर्थिक समावेशी नीतियों के साथ ही हम पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के प्रति भी समर्पित हैं। हमने नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने तथा बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने वैज्ञानिक समुदाय के प्रयासों से यूपीए सरकार ने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को और मजबूत किया है।

मानव विकास

"हमारे देश को जच्चा-बच्चा मृत्यु दर कम करने के साथ-साथ प्राचीन और नये संचारी रोगों से बचाव के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। हमें जीवन शैली में बदलाव के कारण कभी-कभी फैलने वाले गैर-संचारी रोगों से भी निपटना है तथा फिर से उभरते संक्रामक रोगों के प्रति भी सावधान रहना है, जो नया रूप धर कर कभी-भी उपचार तक को बेअसर कर देते हैं"

श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, यूपीए

2 मानव विकास

2.1 शिक्षा

2.1.1 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 को मूर्त रूप देने तथा उसे लागू करने के बाद 2010-11 में शुरू की गई शिक्षा सुधार प्रक्रिया 2011-12 में भी जारी रही। आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के ढांचे और योजना संबंधी नियमों में संशोधन किए गए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यूनिफॉर्म, परिवहन तथा आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए नई कार्यप्रणालियों को मंज़ूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, राज्यों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत खर्च में केंद्रीय अनुपात बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच व्यय वहन प्रणाली में संशोधन किया गया। 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष रूप से अनुदान उपलब्ध कराया गया। सरकार ने शिक्षकों की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) को भी अधिसूचित किया। एनसीटीई ने आधिकारिक राजपत्र में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं अधिसूचित कीं तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए। वर्ष 2010-12 की अवधि में 28,197 प्राथमिक और 6,742 उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए नई इमारतों की स्वीकृति दी गई; 39,502 प्राथमिक और 11,952 उच्च प्राथमिक स्कूल खोले गए; 4,97,992 अतिरिक्त क्लास रूम, 2,48,605 शौचालय तथा 24,924 पेयजल सुविधाएं प्रदान की गईं। विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के 6,82,788 पदों को मंज़ूरी दी गई।

2.1.2 स्कूलों में मध्याह्न भोजन

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 2011-12 में देश के 12.18 लाख प्रारंभिक स्कूलों में 10.52 करोड़ बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया गया। स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने तथा परोसने के लिए 22.5 लाख रसोइया-सह-सहायकों की व्यवस्था की गई।10.50 लाख से अधिक

स्कूलों में रसोई उपकरण उपलब्ध कराए गए और भोजन के सुरक्षित भंडारण एवं बच्चों के भोजन में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 5.35 लाख रसोई-सह-भंडार गृहों का निर्माण किया गया।

2.1.3 अध्यापक शिक्षा

सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए ₹ 6,308.45 करोड़ के व्यय वाली संशोधित

अध्यापक शिक्षा योजना को मंज़ूरी दी है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच व्यय का अनुपात 75:25 होगा। पूर्वोत्तर राज्य केवल 10 प्रतिशत ही योगदान देंगे। इस संशोधित योजना के मुख्य घटकों में शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषदों, उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थानों, अध्यापक शिक्षा के कॉलेजों तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना शामिल है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक बहुल 196 चिन्हित जिलों में प्रारंभिक सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा संस्थानों के रूप में ब्लॉक-स्तर के अध्यापक शिक्षा संस्थानों की स्थापना, अध्यापक शिक्षा योजना के नवीन तत्व हैं।

2.1.4 साक्षरता को प्रोत्साहन — साक्षर भारत

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को नया रूप देते हुए 8 सितंबर, 2009 को इसके नए स्वरुप 'साक्षर भारत' की शुरूआत की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निरक्षर लोगों को काम चलाऊ साक्षर बनाने तथा नव-साक्षरों को बुनियादी शिक्षा से आगे बढ़ाने और स्कूली शिक्षा के समान योग्य बनाने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। शुरूआत से ही 'साक्षर भारत' कार्यक्रम देश के ऐसे 372 जिलों में स्वीकृत किया गया है जहां महिला साक्षरता कम है। इस मिशन का लक्ष्य इन जिलों में 1.6 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 7 करोड़ से अधिक निरक्षर लोगों को लाभ पहुंचाना है।

2.1.5 माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करना

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरूआत मार्च 2009 में हुई थी, लक्ष्य था माध्यमिक शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाना तथा उसकी गुणवत्ता सुधारना। 2011-12 में 3,956 नए माध्यमिक स्कूल (9वीं-10वीं कक्षा) खोले गए तथा मौजूदा 15,567 स्कूलों को सुदृढ़ करने की मंज़ूरी दी गई।

प्रतिभावान ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उत्कृष्टता के मानक के रूप में प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल की दर से ब्लॉक स्तर पर 6,000 मॉडल स्कूल खोलने की योजना के तहत 2011-12 में 835 मॉडल स्कूलों की मंज़ूरी दी गई।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की लड़कियों के लिए छात्रावास की स्थापना और उसे चलाने की योजना देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े लगभग 3,500 ब्लॉकों में नवंबर 2008 में शुरू की गई थी। 2011-12 तक ऐसे 1,925 छात्रावास बनाने की मंज़ूरी दी जा चुकी है।

स्कूली बच्चों में डिजिटल ज्ञान के क्षेत्र में विषमता को कम करने के लिए स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना (आईसीटी) कार्यान्वित की गई है। 4,752 सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता और कंप्यूटर समर्थित शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे की मंज़ूरी दी गई है।

सराहनीय जनसेवा के लिए 5 सितंबर, 2011 को 298 प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

2.1.6 उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के प्रमुख नीतिगत उद्देश्य हैं- समानता और उत्कृष्टता के साथ शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, पाठ्यक्रम सुधार, व्यावसायिक शिक्षा, नेटवर्किंग, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरस्थ शिक्षा तथा प्रशासन संरचना में सुधार। इस हेतु निम्नलिखित विधेयक संसद में पेश किए गए :

क) उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विधेयक, 2011 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा में मानक निर्धारित करने, उनका अनुरक्षण करने तथा समन्वय लाने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान आयोग नामक व्यापक प्राधिकरण की स्थापना सम्मिलित है। विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया तथा अब संसदीय स्थायी समिति के समक्ष विचाराधीन है।

ख) सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के अनिवार्य प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान विनियमन एवं प्रत्यायन प्राधिकरण विधेयक, 2010 संसद में पेश किया गया है।

ग) तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और दाखिला लेने वाले छात्रों के हितों की रक्षा करने और शिक्षा संस्थानों में अनुचित व्यवहार को रोकने तथा ऐसा करने वाले को दंडित करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया है।

घ) उच्च शिक्षा संबंधी सभी विवादों को हल करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक न्यायाधिकरण की दो-स्तरीय संरचना स्थापित करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक को संशोधित किया गया है तथा इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

ङ) विदेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और परिचालन के लिए विदेशी शिक्षण संस्थान (प्रवेश और परिचालन विनियमन) विधेयक, 2010 को संसद में पेश किया गया, जिस पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

च) शैक्षिक पुरस्कार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार करने तथा अधिकृत डिपोजिट्री द्वारा उसके रख-रखाव के लिए एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया जिसे संसदीय स्थायी समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया है।

उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में तीन ऐसे विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत राज्य विश्वविद्यालय के दर्जे से बढ़ाकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

मॉडल डिग्री कॉलेज की योजना में शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 चिन्हित जिलों, जहां उच्च शिक्षा के लिए कुल दाखिले का अनुपात (जीईआर) राष्ट्रीय कुल दाखिले के अनुपात से कम है, में एक-एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है 153 प्राप्त प्रस्तावों में से 78 को मंज़ूरी दी गई है तथा 42 विचाराधीन हैं।

उच्च गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा के लिए सुविधाओं के विस्तार की ज़रूरत को देखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7 नए आईआईएम स्थापित किए गए। राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान (आरजीआईआईएम) की स्थापना शिलांग (मेघालय) में हुई तथा इसका शैक्षिक सत्र 2008-09 से शुरू हुआ। आईआईएम रोहतक (हरियाणा), आईआईएम रांची (झारखंड) और आईआईएम रायपुर (छत्तीसगढ़) का शैक्षिक सत्र 2010-11 से शुरू हुआ जबकि आईआईएम तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु), आईआईएम काशीपुर (उत्तराखंड) तथा आईआईएम उदयपुर (राजस्थान) का शैक्षिक सत्र 2011-12 से शुरू हुआ।

आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में स्थापित सभी आठ नई आईआईटी में, प्रत्येक में 120 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ बी.टेक प्रोग्राम में शैक्षिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 20 नई आईआईआईटी स्थापित करने की योजना प्रगति पर है। संस्थान की स्थापना के लिए 15 राज्य सरकारों ने भूमि चिन्हित कर ली है। चार मामलों में राज्य सरकारों ने औद्योगिक भागीदारों की भी पहचान कर ली है।

वर्ष 2011-12 में 26 नए पॉलिटेक्नीक संस्थान स्थापित करने के लिए अनुदान दिया गया। इसके अतिरिक्त 85 तथा 92 पॉलिटेक्नीक संस्थानों को दूसरी और तीसरी किस्त जारी की गई। पॉलीटेक्नीकों को सुदृढ़ करने के अंतर्गत मौजूदा 127 पॉलीटेक्नीक संस्थानों को पहली किस्त तथा 166 को दूसरी किश्त जारी की गई । 148 पॉलीटेक्नीक संस्थानों को महिला छात्रावासों के लिए अनुदान दिया गया।

शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन

मिशन के अंतर्गत मार्च 2012 तक देशभर के 392 विश्वविद्यालयों और 18,189 कॉलेजों/ पॉलिटेक्नीक संस्थानों में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।

आकाश

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 अक्तूबर 2011 को कम लागत वाले कंप्यूटिंग उपकरण 'आकाश' का शुभारंभ किया गया।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत

टीईक्यूआईपी के पहले चरण की उपलब्धियों के आधार पर, टीईक्यूआईपी के दूसरे चरण को विश्व बैंक की सहायता से ₹ 2,430 करोड़ की कुल राशि के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार का योगदान ₹ 1,895.50 करोड़ है जिसमें से ₹ 1,395.50 करोड़ का विश्व बैंक द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा। राज्यों की हिस्सेदारी ₹ 518.50 करोड़ तथा गैर अनुदानित निजी संस्थानों की हिस्सेदारी ₹ 16 करोड़ होगी। केन्द्र और भागीदार राज्यों के बीच व्यय का अनुपात 75:25 होगा और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 90:10 होगा।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

बड़े राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक एनआईटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, गोवा, दिल्ली, उत्तराखंड तथा पुडुचेरी में 10 नए एनआईटी स्थापित किए हैं। इन एनआईटी में पहला शैक्षिक सत्र वर्ष 2010-2011 से शुरू हुआ और आज की तारीख में लगभग 1600 विद्यार्थी विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। अब तक सात राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। एनआईटी अधिनियम, 2007 के अंतर्गत इन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सम्मिलित करने के लिए एक विधेयक अधिनियमन के अंतिम चरण में है।

2.2 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

2.2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

2005 में शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) देश के समूचे स्वास्थ्य परिदृश्य में सोच के अनुरूप बदलाव लाने में महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड जन्म दर (सीबीआर) 2005 की तुलना में 1.7 अंक घटकर 2010 में 22.1 रह गई। इसी अवधि में क्रूड मृत्यु दर में 0.4 अंक की गिरावट आई। नवजात शिशु मृत्यु (आईएमआर) दर में पिछले वर्ष से 3 अंक की गिरावट दर्ज की गई तथा यह 2010 में प्रति एक हज़ार जीवित नवजात शिशुओं पर 47 रही। 2010 में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में भी 0.1 की गिरावट आई तथा यह 2.5 पर रही।

प्रथम मॉड्यूल में 8.03 लाख से अधिक आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा 5वें मॉड्यूल में 6.2 लाख आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। सामुदायिक स्वामित्व वाली विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थापना की ओर रुख करते हुए लगभग 7.8 लाख आशा कार्यकर्ताओं को दवा किट के साथ तैनात किया गया है। स्वास्थ्य देखभाल योजना के रोग निवारक और प्रोत्साहक पहलुओं पर ध्यान देने तथा स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों पर

सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2011-12 (दिसंबर 2011 तक) में 16,799 अतिरिक्त ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों का गठन किया गया। डॉक्टरों, सहायक कर्मचारियों, विशेषज्ञों, स्टाफ नर्सों, सहायक नर्स मिडवाइव्ज़ सहित 20,235 अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया।

गर्भवती महिलाओं तथा रोगग्रस्त नवजात शिशुओं के लिए चिकित्सा संस्थानों में बाधाओं को दूर करने के लिए '**जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम**' नामक नई योजना जून 2011 में शुरू की गई। इसके तहत सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने वाली गभर्वती महिलाओं के लिए मुफ्त परिवहन, मुफ्त दवा एवं उपयोगी वस्तुएं और मुफ्त आहार तथा ऑपरेशन सहित प्रसव की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है जिसका मकसद इनकी जेब पर पड़ने वाले भार को कम करना है। यही सहूलतें रोगग्रस्त नवजात शिशुओं के लिए भी दी गई हैं।

टीकाकरण अभियान के कारण जनवरी 2011 के बाद से देश में वाइल्ड पोलियो के किसी मामले की खबर नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो वाले देशों की सूची से बाहर कर दिया है। जिन राज्यों में मलेरिया के अधिक मामले पाए जाते रहे हैं वहां मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर और रूग्णता दर में गिरावट देखी गई है। कालाज़ार के कारण होने वाली मृत्यु दर में गिरावट देखी गई है। 2010 के मुकाबले 2011 में डेंगू के मामलों की कुल संख्या भी कम हुई है।

2.2.2 स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन

स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय मानव संसाधन आयोग की स्थापना के लिए विधेयक को अंतिम रूप दिया गया है तथा इसे संसद में पेश किया गया है। यह आयोग वर्तमान संरचना में सुधार और कुशल कर्मियों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक नियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा।

2.2.3 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में भोपाल, भुवनेशवर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेष में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे 6 नए संस्थानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी 6 स्थलों पर चिकित्सा कॉलेज परिसर का निर्माण पूरी गति पर है तथा चिकित्सा कॉलेजों के शैक्षिक सत्र 2012-13 से चालू होने की उम्मीद है।

2.2.4 एड्स नियंत्रण

राष्ट्रीय स्तर पर वयस्कों में एचआईवी संक्रमण की दर वर्ष 2000 में 0.41 प्रतिशत थी जो 2009 में गिरकर 0.31 प्रतिशत रह गई। एचआईवी संक्रमण के

नए मामलों की वार्षिक अनुमानित संख्या वर्ष 2000 में 2.7 लाख नए संक्रमण थी, जो 2009 में 56 प्रतिशत गिरकर 1.2 लाख रह गई।

2.2.5 आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सेवाएं (आयुष)

वर्ष 2011-12 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 4,090 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 350 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 136-जिला अस्पतालों में सह-स्थित आयुष सुविधाओं के लिए आवर्ती अनुदान के रूप में तथा 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 1 जिला अस्पताल के लिए गैर-आवर्ती अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 15,680 आयुष डिस्पेंसरियों तथा 155 आयुष अस्पतालों में अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में योजना के अंतर्गत 50 पलंग वाले एकीकृत आयुष अस्पताल बनाने के लिए 6 प्रस्ताव और 10 पलंग वाले एकीकृत आयुष अस्पताल बनाने के लिए 5 प्रस्तावों को संबल प्रदान किया गया है।

2.2.6 मधुमेह, हृदयरोग तथा पक्षाघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

इस कार्यकम का विस्तार 21 राज्यों के 100 जिलों तक किया गया है। इस कार्यकम का लक्ष्य स्वास्थ्य सुधार तथा स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना, जांच की सुविधाएं प्रदान करके ऐसे व्यक्तियों का पता लगाना जिनमें जोखिम वाले कारकों का स्तर अधिक है और गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करना है। इस कार्यक्रम के तहत 20 राज्यों में मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप के लिए लगभग 58 लाख लोगों की जांच की गई।

2.2.7 मानव अंगों का प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम 2011

मानव अंगों का प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम 2011 के रूप में एक कानून बनाया गया है। इसके अंतर्गत निकट संबंधियों की परिभाषा में दादा-दादी, नाना-नानी और पोते-पोती, नाती-नातिन को शामिल करना, रिट्रीवल सेंटर्स को मान्यता देना, आपसी आदान-प्रदान की स्वीकृति, अंगदान के लिए मृत-मस्तिष्क रोगी के संबंधियों से उपचार करने वाले कर्मचारियों द्वारा आग्रह करने को अनिवार्य बनाना सम्मिलित है।

2.2.8 चिकित्सकीय संस्थान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010

चिकित्सकीय संस्थान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम तथा सिक्किम राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 1 मार्च, 2010 से प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य बड़े पैमाने पर अनियंत्रित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नियामक ढांचा तैयार करना तथा चिकित्सकीय संस्थानों के लिए न्यूनतम अनिवार्य मानक निर्धारित करना है।

2.2.9 स्वास्थ्य अनुसंधान

2011-12 में टॉक्सिकॉलॉजी, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, जेरिएट्रिक्स, स्टेम सेल रिसर्च, क्लीनिकल ट्रायल आदि अत्याधुनिक क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास तथा ट्रांसलेशन और इंप्लीमेंटेशन से संबंधित पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की शुरूआत की गई है। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शोधकर्ताओं

के साथ-साथ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए 22 संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

2.3 बाल विकास और बाल अधिकार

पोषण पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद् ने देश में कुपोषण की बहुआयामी समस्या से निपटने के लिए 24 नवंबर, 2010 को अपनी बैठक में कई निर्णय लिए। इसके बाद से समेकित बाल विकास योजना को मज़बूती प्रदान करने तथा उसकी पुनर्संरचना के लिए एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है। अत्यधिक चिंताजनक चुनिंदा दो सौ जिलों में मां और बच्चे के कुपोषण से निपटने के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण और कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ढांचा तैयार किया गया है।

2.3.1 समेकित बाल विकास योजना का सार्वभौमीकरण

इस योजना में चल रहे सार्वभौमीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 186 नई परियोजनाएं तथा 42,033 नए आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किए गए । इसके साथ ही कुल 6,908 परियोजनाएं तथा 13.04 लाख आंगनवाड़ी केंद्र चालू हो गए हैं। 2010-11के मुकाबले 13.02 लाख लाभार्थियों की वृद्धि हुई, इस तरह लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 2011-12 में 972.49 लाख हो गई। समेकित बाल विकास योजना पर व्यय 2010-11 में ₹ 9,763 करोड़ की तुलना में 2011-12 में बढ़कर ₹ 14,272 करोड़ हो गया। आंगनवाड़ी केंद्र तथा आंगनवाड़ी सहायकों और लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के कर्मचारियों का मानदेय प्रति माह ₹ 1,500 तथा ₹ 750 तक बढ़ाया गया।

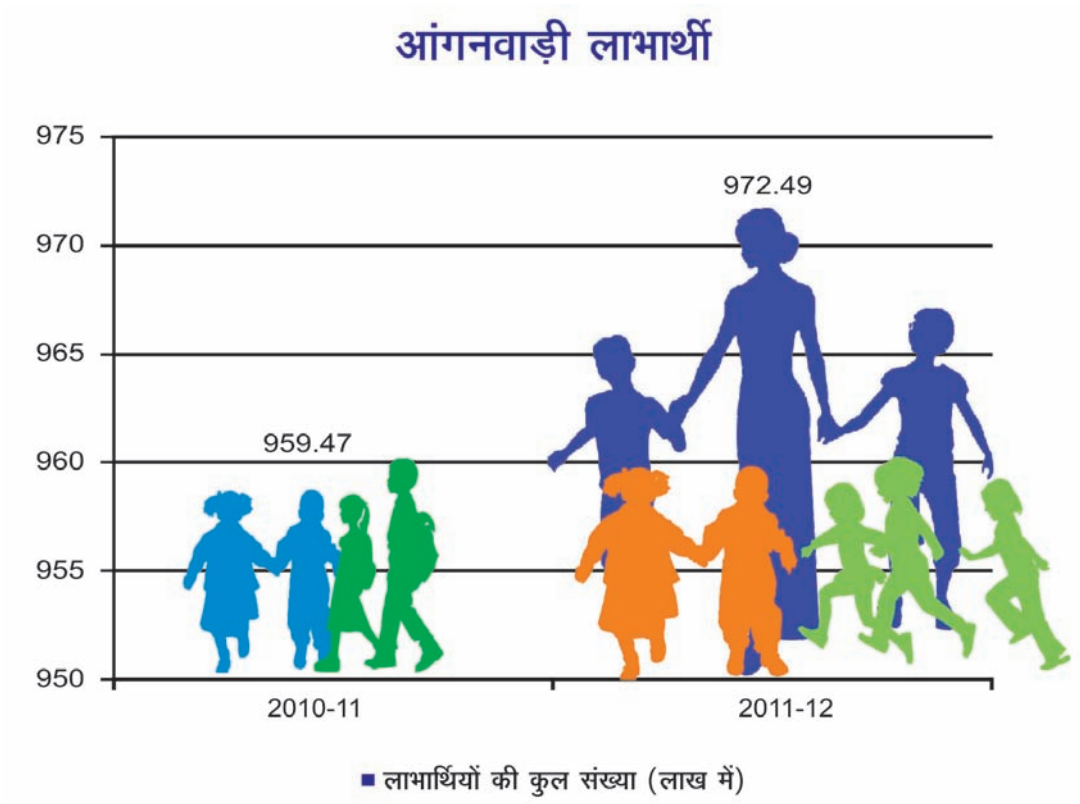

2.3.2 राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना-'सबला'

केंद्र द्वारा प्रायोजित राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (आरजीएसईएजी)-'सबला' देशभर के दो सौ चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक आधार पर 2010-11 में शुरू की गई। 'सबला' का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की उम्र की लड़कियों के पोषण तथा स्वास्थ्य में सुधार करके घरेलू कौशल, जीवन कौशल तथा व्यावसायिक कौशल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कौशल उन्नयन कर उन्हें सशक्त बनाना है । 2011-12 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ₹ 594 करोड़ जारी किए गए जिससे 'सबला' के पोषाहार घटक के अंतर्गत 84.82 लाख किशोरियों को फायदा पहुंचा।

2.3.3 शिशु लिंग अनुपात सुधारने के लिए नवप्रवर्तन परिषद्

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिशु लिंग अनुपात में गिरावट की समस्या से समयबद्ध और प्रभावी ढंग से निपटने हेतु नए कार्यक्रम और नवाचार रणनीतियां, दृष्टिकोण और कार्यपद्धतियां निश्चित करने के लिए सेक्टोरल नवप्रवर्तन परिषद् की स्थापना की है।

2.3.4 समेकित बाल संरक्षण योजना

केंद्र द्वारा प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण

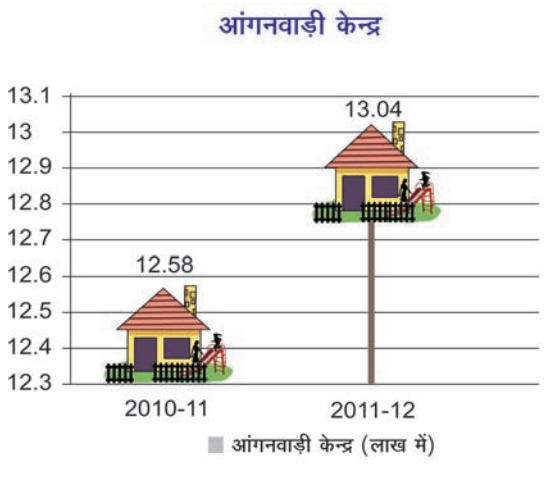

योजना बच्चों की देखभाल और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए 2009-10 से शुरू की गई है। इसने सरकार के साथ-साथ स्वैच्छिक संस्थानों में भी बाल संरक्षण पर चर्चा के लिए परिदृश्य तथा माहौल बनाने में मदद की है। 548 बाल कल्याण समितियां तथा 561 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है। 2011-12 में 196 विशेष दत्तक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। कठिनाइयों का सामना कर रहे बच्चों के लिए 24 घंटे आपातकाल टोल फ्री टेलीफोन सेवा, चाइल्डलाइन (1098) का विस्तार 78 नए स्थानों तक किया गया है। इसके साथ ही अब यह सेवा कुल 204 शहरों और कस्बों में उपलब्ध है।

सामाजिक समावेश

"हमारा लक्ष्य हमेशा समावेशी विकास रहा है जिसका मतलब है हम अपनी आबादी के सभी वर्गों, खासतौर से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए व्यापक लाभ सुनिश्चित करें तथा पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें।"

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

3 सामाजिक समावेश

3.1 खाद्य और सार्वजनिक वितरण

किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करके खाद्य और पोषाहार सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद में पेश किया गया था ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मज़बूत करने के लिए उसके आधुनिकीकरण तथा समूची प्रणाली के कंप्यूटरीकरण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने लाभार्थी डाटाबेस के डिजिटाइज़ेशन, उचित दर की दुकानों के ऑटोमेशन, आपूर्ति ृंखला का कंप्यूटरीकरण करने तथा शिकायत निवारण प्रणाली बनाने की दिशा में कई उपाय किए हैं।

देश में खाद्यान्न के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। आधुनिक साइलो के रूप में 20 लाख टन भंडारण की व्यवस्था बनाई जाएगी। लगभग 1.5 करोड़ टन क्षमता निजी उद्यम गारंटी योजना के अंतर्गत बनाई जा रही है।

3.2 महिलाओं का सशक्तिकरण

3.2.1 महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति

महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो 1989 से महिलाओं की दशा को समझने के लिए एक व्यापक अध्ययन करेगी। उच्च स्तरीय समिति भारत में महिलाओं की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक तथा वैधानिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा महिलाओं की ज़रूरतों के सामयिक आकलन के आधार पर एक उपयुक्त नीतिगत कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी।

3.2.2 स्वाधार गृह

पूर्व में संचालित स्वाधार और शॉर्ट स्टे होम नामक दो योजनाओं को मिलाकर बेहतर वित्तीय मानकों के साथ 2011 में स्वाधार गृह नामक एक नई योजना शुरू की गई । इस योजना का उद्देश्य हाशिए पर आई महिलाओं/लड़कियों की मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को भावनात्मक सहयोग तथा परामर्श मिलेगा ताकि वे शिक्षा, कौशल उन्नयन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर बन सके तथा सामाजिक और आर्थिक रूप में उनकी स्थिति बेहतर हो सके।

3.2.3 राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन ने 2011 में एक विशिष्ट कार्यक्रम- 'पूर्ण शक्ति केंद्र' के नाम से महिलाओं के लिए 'अभिसरण केंद्र' के नए प्रारूप की शुरूआत की। इसके तहत देश के चुनिंदा जिलों में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के लिए उपलब्ध लाभों को उन तक सुलभ कराना है। 18

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य मिशन प्राधिकरण अधिसूचित किए हैं तथा 6 राज्यों में महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

3.3 कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण तथा विकास

3.3.1 शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लगभग 48 लाख विद्यार्थियों

के लिए ₹ 2,700 करोड़ से अधिक की केंद्रीय सहायता दी गई है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को संशोधित किया गया और इसमें पात्रता के लिए माता-पिता की आय सीमा ₹ 1.45 लाख से बढ़ाकर ₹ 2 लाख की गई, पाठ्यक्रमों को युक्तिसंगत बनाया गया है तथा भत्तों में करीब 60 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति के लगभग 16.47 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए करीब ₹ 867 करोड़ जारी किए गए।

अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को संशोधित किया गया है और इसमें पात्रता के लिए अभिभावक की आय सीमा ₹ 44,500 से बढ़ाकर ₹ 1 लाख कर दी गई है। पाठ्यक्रमों को युक्तिसंगत बनाया गया है तथा अनुरक्षण और भत्तों में तीन-चौथाई की वृद्धि की गई है। वर्ष के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लगभग 17 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए ₹ 528 करोड़ की केंद्रीय सहायता राज्यों को जारी की गई।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा योजना में संशोधन किया गया है तथा शैक्षिक सत्र 2012-13 से परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹ 2 लाख से बढ़ाकर ₹ 4.5 लाख की गई है। योजना के अंतर्गत अधिसूचित प्रमुख संस्थानों की सूची में 24 नए संस्थानों को जोड़ा गया है। इस तरह इस योजना के अंतर्गत संस्थानों की संख्या बढ़कर 205 हो गई है। वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 1674 विद्यार्थियों को ₹ 21 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति दी गई।

राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के तहत एम.फिल, पीएच.डी और समकक्ष डिग्री के लिए अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के 2,000 विद्यार्थियों के लिए जारी फैलोशिप के नवीकरण और नए फैलोशिप के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ₹ 100 करोड़ से अधिक की राशि दी गई। योजना के तहत इसी तरह अनुसूचित जनजाति के 3,335 विद्यार्थियों को ₹ 84.93 करोड़ की फैलोशिप दी गई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और विकास निगम के जरिए 2.05 लाख लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ₹ 490 करोड़ से अधिक के रियायती ऋण वितरित किए गए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को भी दोगुना कर ₹ 600 करोड़ किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के जरिए अनुसूचित जनजाति के 54,485 लाभार्थियों को ₹ 113.07 करोड़ की सहायता दी गई।

3.3.2 अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं की राशि में वृद्धि

विकास के क्षेत्र में विसंगतियों को कम करने के लिए अनुसूचित जाति बहुल 1,000 गांवों के समेकित विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में संशोधन किया गया है तथा इसके अंतर्गत दी जाने वाली केंद्रीय सहायता राशि को प्रति गांव ₹ 10 लाख से बढ़ाकर ₹ 20 लाख किया गया है। फलस्वरूप इस योजना के अंतर्गत पांच राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु और असम के लिए ₹ 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की गई।

3.3.3 अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को भू-अधिकार प्रदान करना

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मार्च 2012 तक 17.60 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र वाले 12.50 लाख से अधिक पट्टे दिए गए हैं।

3.4 अल्पसंख्यकों के लिए समावेशी कार्यक्रम

3.4.1 अल्पसंख्यकों को विकास के लाभ देना

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम

यह सुनिश्चित किया गया है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित योजनाओं में 15 प्रतिशत लक्ष्य तथा आर्थिक प्रावधानों का भी 15 प्रतिशत हिस्सा अल्पसंख्यकों पर खर्च किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अल्पसंख्यक बहुल खंडों और जिलों में 820 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का निर्माण किया गया; 1,005 से ज्यादा ऐसे स्कूल खोले गए; 20,150 से अधिक क्लास रूमों का निर्माण किया गया और 2,476 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। 11,245 से अधिक बस्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दायरे में लाया गया तथा शहरी गरीबी बुनियादी

सेवाओं, समेकित आवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम, शहरी बुनियादी ढांचा एवं प्रशासन तथा छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना के अंतर्गत ₹ 21,057 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त इस अवधि में अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में **इंदिरा आवास योजना** के तहत 3.78 लाख से अधिक मकानों का निर्माण भी किया गया। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के भाग के रूप में अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों में बदलने की स्वीकृति दी गई। मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान की समग्र निधि में ₹ 200 करोड़ की वृद्धि की गई तथा अब इसकी कुल निधि ₹ 750 करोड़ हो गई है।

3.4.2 शिक्षा तक पहुंच में सुधार

अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व शिक्षा के लिए 55.29 लाख छात्रवृत्तियां दी गई। इस पर ₹ 615.47 करोड़ की राशि खर्च की गई। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ₹ 362.99 करोड़ की 7 लाख छात्रवृत्तियां , ₹ 115.72 करोड़ की 42,476 योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्तियां दी गई। मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा लागू छात्राओं के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 11वीं और 12वीं कक्षा की 17,700 छात्राओं को ₹ 21.84 करोड़ की छात्रवृत्तियां दी गईं। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फैलोशिप के अंतर्गत ₹ 51.98 करोड़ की 2,266 फैलोशिप दी गईं। वर्ष के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र की सेवाओं में नौकरी तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों और उम्मीदवारों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए ₹ 15.98 करोड़ जारी किए गए।

वित्तीय समावेश के उपाय के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 619 शाखाएं खोली गईं। अल्पसंख्यकों को ₹ 1,54,789 करोड़ से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया। यह राशि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के 15 प्रतिशत के लगभग थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम (एनएमएफडीसी) ने 1,05,874 अल्पसंख्यक लाभार्थियों की सहायता के लिए ₹ 271.37 करोड़ वितरित किए।

3.4.3 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहुक्षेत्रीय जिला योजनाएं

अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की योजनाओं को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकृति दे दी गई है। इसमें 3 लाख से अधिक मकानों, 27,797 आंगनवाड़ी केंद्रों; 2,624 स्वास्थ्य संरचना इकाइयों; 13,825 अतिरिक्त क्लास रूम; 696 स्कूल भवनों; छात्र और छात्राओं के लिए 332 छात्रावासों; 34,553 जल आपूर्ति सुविधाएं; 71 औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थानों; 31 पॉलीटेक्नीक संस्थानों के निर्माण आदि की स्वीकृति

शामिल है। इन जिलों में जिला योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को ₹ 2941.60 करोड़ की राशि जारी की गई।

3.5 असक्षमता से सशक्तिकरण की ओर

3.5.1 नए सिरे से ध्यान

असक्षम व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के लिए सरकार ने एक अलग असक्षम कार्य विभाग बनाने का निर्णय लिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में ₹ 45 करोड़ की अनुमानित लागत से भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की मंज़ूरी दी गई है । राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम ने 10,625 लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ₹ 50 करोड़ से अधिक राशि के रियायती ऋण वितरित किए।

3.6 वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए पात्रता आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई है तथा 80 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि भी ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 500 प्रतिमाह कर दी गई है। इस योजना से लगभग 2 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचेगा। केंद्र और राज्य सरकारों को वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। देश के 100 जिलों में राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम शुरू किया गया है तथा जाने-माने चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में 8 क्षेत्रीय वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

3.7 कामगारों का कल्याण

3.7.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 2.85 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें से 52 लाख परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। इस योजना से भवन निर्माण में लगे मज़दूरों, फुटकर विक्रेताओं, घरेलू कामगारों, बीड़ी मज़दूरों तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत कामगारों (जिन्होंने विगत वर्ष में 15 दिनों से अधिक काम किया) को भी जोड़ा गया है। असंगठित क्षेत्र के अन्य व्यावसायिक समूहों को भी चरणबद्ध तरीके से इस योजना से जोड़ने का प्रस्ताव है।

3.7.2 संगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण

संगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत चिकित्सा बोनस को ₹ 2,500 प्रति माह से बढ़ाकर ₹ 3,500 प्रति माह किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए प्रयास किए हैं। इसमें नए भौगोलिक क्षेत्रों, आईटी रोल आउट तथा चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।

विश्वस्तरीय कुशल श्रमिक बल बनाने के लिए क्रमशः 2,244 और 7,203 सरकारी तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के नेटवर्क के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह संस्थान कुल 13.35 लाख सीटें उपलब्ध कराते हैं। 100 आईटीआई के उन्नयन का कार्य पूरा हो चुका है जबकि विश्व बैंक की सहायता से 400 तथा निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से 1396 आईटीआई के उन्नयन के लिए योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोज़गार का विनियमन तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 2011 को संसद में पेश किया गया है। राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम मज़दूरी में संशोधन कर इसे 1 अप्रैल, 2011 से प्रति दिन ₹ 100 से बढ़ाकर ₹ 115 किया गया है।

3.8 सैनिकों के कल्याण के लिए पहल

61 नए पॉलिक्लीनिकों की शुरूआत के साथ भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जारी है। लाभार्थियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । जम्मू और कश्मीर के कारगिल, हरियाणा के पलवल तथा गुजरात के कच्छ में एक-एक, कुल तीन नए जिला बोर्ड या जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों की स्वीकृति भी दी गई है।

दुर्गम स्थानों पर तैनात सैनिकों के कल्याण संबंधी उपायों पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें जल्दी आने-जाने के लिए चार्टेड सिविल फ्लाइट, वर्दी में सुधार, बेहतर राशन, वाहनों की सुविधा में सुधार, रणनीतिक रेल लाइनों का विकास तथा विभिन्न स्थानों पर नये यात्री आरक्षण केंद्र खोलना शामिल हैं। जीवन दशाओं में सुधार के लिए विवाहित आवास योजना के तहत 53,989 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा किया गया है। 69,992 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.9 वित्तीय समावेश

बिजनेस कॅरेस्पोंडेंट के इस्तेमाल से बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशी अभियान 'स्वाभिमान' चलाया जा रहा है। इन प्रयासों के जरिए सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा के लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किए जा सकते हैं, जो अपने गांव में बैंक साथी से यह पैसा प्राप्त कर सकेंगे। करीब 74,000 गांव में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। 'स्वाभिमान' अभियान का विस्तार अब पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों में छोटी बस्तियों तक किया जाएगा।

नई पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के लोगों में सेवानिवृत्ति के उपरांत बेहतर जीवन के लिए स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2010 में 'स्वावलंबन' योजना की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार इस योजना के तहत खोले गए प्रत्येक खाते में ₹ 1,000 की राशि का योगदान देती है। लोगों को यह योजना शुरू में ही लेने के लिए प्रोत्साहन देने के वास्ते सरकारी योगदान का लाभ स्वावलंबन के उन सभी ग्राहकों को उपलब्ध कराया गया है, जिन्होंने वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान पंजीकरण कराया तथा पांच वर्षों के लिए यह योजना ली है।

3.10 भूमि अधिग्रहण

राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 को लागू करने के लिए यूपीए सरकार ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक पेश किया। इस विधेयक को न सिर्फ भू-मालिकों, बल्कि उनके लिए भी, जो अपनी आजीविका के लिए ऐसी भूमि पर निर्भर हैं, को अनिवार्य रूप से पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज के साथ क्षतिपूर्ति की उदार प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। यह विधेयक ग्रामीण विकास की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष विचाराधीन है।

3.11 जनगणना

विश्व की सर्वाधिक विशाल प्रशासकीय कवायद यानी जनगणना 2011, को यंत्रवत कार्य कुशलता के साथ पूरा किया गया और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के तीन सप्ताह के भीतर जनसंख्या के अनंतिम आंकड़े को जारी किया गया। आवास सूचीकरण और आवासीय जनगणना के लिए डाटा प्रोसेसिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है और अंतिम परिणामों को जारी किया जा चुका है। जनगणना 2011, के परिणामों को पिछली जनगणना की तुलना में एक वर्ष पहले प्रकाशित किया गया।

3.11.1 राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर

राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का काम भारत में पहली बार शुरु किया गया है। एनपीआर के लिए आंकड़े एकत्र करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में घर-घर जाकर गिनती करने का काम पूरा किया जा चुका है। 54 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों के आंकड़ों के डिजिटलीकरण का काम पूरा किया जा चुका है। एनपीआर के तहत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बायोमिट्रिक जानकारी जुटाने का कार्य प्रगति पर है।

3.11.2 वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण

बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा,राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और असम राज्यों में जिला स्तर पर प्रथम बार मूलभूत महत्वपूर्ण और स्वास्थ्य संकेतकों के मानदंडों को प्राप्त करने के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस) की शुरुआत की गई है। एएचएस का प्रथम चरण पूरा होने के बाद इन नौ राज्यों के जिला स्तरीय आंकड़ों को जारी किया जा चुका है। एएचएस के दूसरे दौर के लिए 125 जिलों में फील्ड कार्य पूरा किया जा चुका है और इन राज्यों के अन्य 75 जिलों में यह कार्य प्रगति पर है।

ग्रामीण नवीकरण

"ग्राम-सभा को सभी कार्यक्रमों की सामाजिक जांच का मंच होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत योजना बनाने, काम को लागू करने और सामाजिक जांच-पड़ताल में पंचायत और ग्राम सभाओं की विशेष भूमिका हो।"

श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, यूपीए

4. ग्रामीण नवीकरण

4.1 भारत निर्माण

ग्रामीण बुनियादी ढांचे में व्यापक तौर पर सुधार लाने के दृष्टिकोण के साथ यूपीए सरकार ने वर्ष 2004 में 'भारत निर्माण' कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सभी पात्र गांवों तक बिजली, स्वच्छ पेयजल, सभी मौसम के अनुकूल सड़कें, टेलीफोन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण आवासीय स्टॉक और सिंचाई क्षमता में मूल रूप से वृद्धि करने के लिए वर्ष 2009 से कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हुई।

एक करोड़ हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन, एक लाख गांवों तथा 1.75 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली मुहैया कराने, 1.94 लाख कि.मी. की मौजूदा सड़कों के उन्नयन और चिन्हित बस्तियों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के संचयी लक्ष्य को 31 मार्च 2012 की लक्षित तिथि से काफी पहले प्राप्त किया जा चुका है।

4.1.1 ग्रामीण आवास

प्रथम चरण के दौरान 60 लाख आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 71.8 लाख आवासों का निर्माण किया गया। दूसरे चरण के दौरान 120 लाख आवासों के निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस चरण में ₹ 38,500 करोड़ से अधिक लागत के साथ लगभग 82 लाख आवासों का निर्माण/उन्नयन किया गया है।

4.1.2 ग्रामीण सड़कें

भारत निर्माण की शुरुआत के बाद से लगभग 43,000 बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कों के साथ जोड़ा गया है और 2.31 लाख कि.मी. से भी अधिक की मौजूदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन/नवीकरण किया गया है। वर्ष 2011-12 में 4,500 से भी अधिक बस्तियों को जोड़ा गया तथा लगभग 9,150 कि.मी. सड़क की लंबाई का उन्नयन/नवीकरण किया गया।

4.1.3 ग्रामीण जलापूर्ति

पहले चरण के दौरान 3.5 लाख से भी अधिक बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर बल था। इस कार्य के पूरा हो जाने के साथ ही अब प्राथमिकता प्रभावित बस्तियों में पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने पर है। पानी की गुणवत्ता से प्रभावित 20,000 से भी अधिक बस्तियों को वर्ष 2011-12 के दौरान स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया गया। पेयजल और स्वच्छता पर अधिक बल देने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग का स्तर बढ़ाकर मंत्रालय में तब्दील कर दिया गया है।

4.1.4 जल संसाधन - सिंचाई

लगातार दो से भी अधिक चरणों में कुल 107 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पूर्वावस्था में लाने पर भी बल दिया गया है। वर्ष 2011-12 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत आठ मिशनों में से एक के रुप में राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत की गई।

4.1.5 ग्रामीण विद्युतीकरण

वर्ष 2011-12 में **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना** के तहत 7,934 गांवों का विद्युतीकरण पूरा किया गया और 34.44 लाख बीपीएल कनेक्शन मुहैया कराए गए। संचयी तौर पर पहले से

विद्युतीकृत 2.48 लाख गांवों में गहन विद्युतीकरण और एक लाख से अधिक विद्युत रहित गांवों में कार्य को पूरा किया गया। इसके अलावा 194.25 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

4.1.6 ग्रामीण दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी

सार्वजनिक टेलीफोनों की सुगमता से परे कुल 62,302 गांवों में से 62,088 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) मुहैया कराए गए हैं। कुल मिलाकर आबादी वाले कुल 5,93, 601 गांवों में से 5,80,556 गांवों को वीपीटी की सुविधा प्रदान की गई है। 2.5 लाख लक्षित ग्राम पंचायतों में से 1.47 लाख को ब्रॉडबैंड के जरिए जोड़ा गया है।

4.2 ग्रामीण रोज़गार

4.2.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना

वित्त वर्ष 2011-12 में इस योजना ने 4.4 करोड़ से भी अधिक परिवारों को रोजगार प्रदान किया है। ₹ 27,000 करोड़ से भी अधिक के व्यय से 161 करोड़ से भी अधिक दिहाड़ियों का रोज़गार सृजित किया गया। वर्ष 2006-07 में ₹ 65 प्रति दिन की औसत मजदूरी दर में वृद्धि के साथ वर्ष 2011-12 में

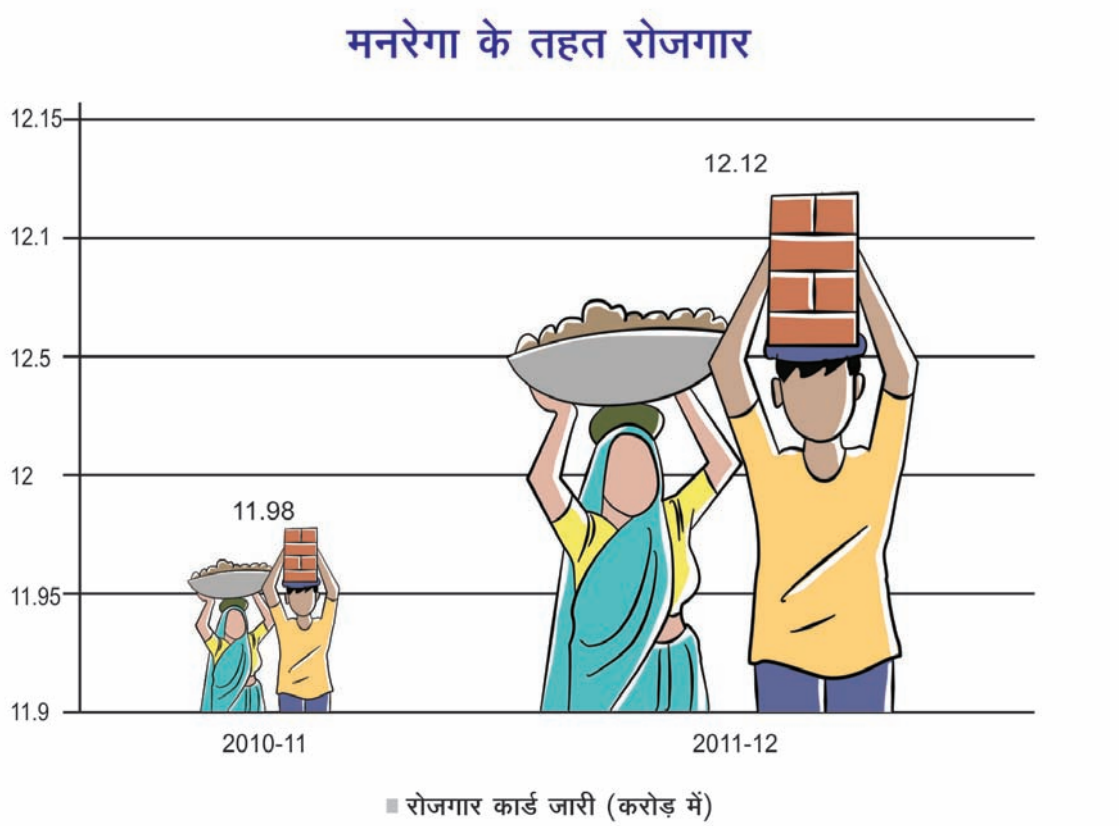

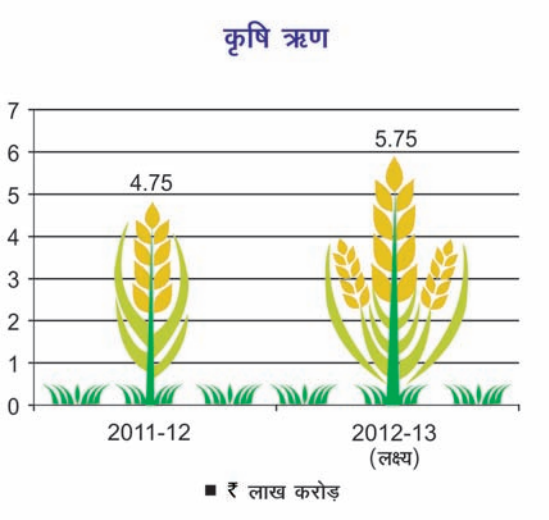

यह ₹ 116 हो गई है। इसके श्रमिकों को मुद्रास्फीति से बचाने के लिए इस योजना के तहत अधिसूचित मजदूरी दर को एक जनवरी 2011 से कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अनुक्रमित किया गया है। एक अप्रैल 2012 से इसकी मजदूरी दरों में पुनः संशोधन किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण सहित अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अंकेक्षण योजना नियमावली, 2011 को अधिसूचित किया गया है।

इस योजना के तहत हमारे गांवों के 97 हज़ार डाकघरों में पाँच करोड़ से अधिक खाते अब तक खोले गए हैं।

4.2.2 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

गरीबतम परिवारों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से 'आजीविका' नाम से पुकारे जाने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नामक एक महत्वाकांक्षी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वरोजगार और कौशल आधारित रोजगार अवसर प्रदान करना है ताकि उनकी आजीविका में सतत आधार पर उल्लेखनीय सुधार लाया जा सके। वर्ष 2011-12 में 15.65 लाख से अधिक स्वरोजगारियों को सहायता प्रदान की गई।

4.3 किसानों का कल्याण

4.3.1 कृषि ऋण

वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 4,75,000 करोड़ के कृषि ऋण का लक्ष्य था और 29 फरवरी 2012 तक ₹ 4,40,714 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। कुल खेती ऋण ₹ 549.60 लाख का था, जिसमें से 61 प्रतिशत छोटे और बहुत छोटे किसानों के लिए है। वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 5,75,000 करोड़ के वितरण का लक्ष्य है।

किसानों को लगभग 11 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए हैं । किसान क्रेडिट कार्ड को एटीएम/पीओएस टर्मिनलों पर एटीएम कार्ड के रुप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

4.3.2 कृषि सामग्री : उर्वरक और बीज

देश में प्रमुख उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रणों की मांग में साल दर साल वृद्धि हुई है और वर्ष 2011-12 के दौरान यह मांग सर्वाधिक रही।

वर्ष 2011-12 (अप्रैल -2011से मार्च -2012) के दौरान उर्वरकों की संचयी मांग उपलब्धता और बिक्री उदाहरणीय रही।

वर्ष 2011-12 में उर्वरकों का अनुमानित उपयोग लगभग 141.30 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर है जबकि वर्ष 2009-10 में यह 135.76 कि. ग्रा. प्रति

हेक्टेयर था। वर्ष 2011-12 में देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता थी।

बीज गांव योजना के तहत बीज उत्पादन की किसानों की सहभागी प्रणाली पर बल दिया जा रहा है। वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता 321.36 लाख क्विंटल से बढ़कर 353.62 लाख क्विंटल हो गई।

4.3.3 खाद्य सुरक्षा

चावल और गेंहू के क्रमशः 102 मिलियन टन और 88 मिलियन टन के अनुमानित रिकॉर्ड स्तर उत्पादन के साथ, 250 मिलियन टन से भी ज्यादा के अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। दालों और तिलहनों के क्रमशः 17.28 मिलियन टन और 30.53 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है । कपास की 34 मिलियन गांठों के उत्पादन का अनुमान है, जो एक नया रिकॉर्ड है। 347.87 मिलियन टन गन्ने के उत्पादन का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.49 मिलियन टन अधिक है।

वर्ष 2011-12 तक खाद्यान्न उत्पादन को 20 मिलियन टन तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ शुरू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अपने कार्यान्वयन के चार वर्षों के भीतर ही लगभग 24 मिलियन टन के अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन को प्राप्त करते हुए पहले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है।

4.3.4 प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन

कर्नाटक और आंध्रप्रदेश राज्यों में सूखे के मद्देनज़र सरकार ने दोनों राज्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की ओर से

₹ 892.83 करोड़ और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के विशेष घटक की ओर से ₹ 8.00 करोड़ की सहायता स्वीकृत की।

4.3.5 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-2012 तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ₹ 22408.79 करोड़ प्रदान किए गए हैं। योजना ने कृषि क्षेत्र को निश्चित गति प्रदान की है। खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि और राज्यों को योजना की रुपरेखा में पूर्ण छूट तथा इसके क्रियान्वयन में स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ उस रणनीति को लागू करने के लिए राज्यों को नीति तथा उपयुक्त योजना रुपरेखा तैयार करने की अनुमति प्रदान करने के कारण ऐसा हुआ है।

4.3.6 विस्तार में सुधार

किसान कॉल सेंटर की योजना के तहत

किसान समुदाय के प्रश्नों के जवाब देने के लिए 22 भाषाओं में सप्ताह के सातों दिन सुबह छह बजे से रात दस बजे तक देशव्यापी 11 अंकीय फोन नंबर **'1800-180-1551'** उपलब्ध है। इस योजना की शुरुआत से लेकर जनवरी 2012 तक 76.37 लाख फोन कॉल प्राप्त हुईं।

4.3.7 राष्ट्रीय बागवानी मिशन

इस मिशन का उद्देश्य फल उत्पादन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और फलों के विपणन में वृद्धि करना है। वर्ष 2011-12 के दौरान इसके तहत ₹ 1,049.99 करोड़ की राशि जारी की गई और पूर्वोत्तर तथा हिमालय अंचल के राज्यों के लिए ₹ 493.13 करोड़ की राशि जारी की गई। फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमशः 169 ग्राम/व्यक्ति/दिन और 332 ग्राम/व्यक्ति/दिन तक बढ़ गई है।

4.3.8 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

सरकार ने 15 मेगा फूड पार्कों को स्वीकृति प्रदान की है। अन्य 15 नवीन मेगा फूड पार्क विचाराधीन है। यह 30 मेगा फूड पार्क लगभग 900-1000 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को सुगम बनाएंगे, जिससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी में कमी, खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रखने तथा रोजगार के अवसर और किसान की आय में वृद्धि होगी। मांस की स्वच्छ और साफ आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुल ₹ 254 करोड़ की परियोजना लागत के साथ 10 बूचड़खानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2011-12 के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹ 170 करोड़ का व्यय किया गया। सोनीपत (हरियाणा) के कुंडली में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्यम प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) की स्थापना की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापन/आधुनिकीकरण योजना के तहत 1157 से भी अधिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता प्रदान की गई। कोल्ड ृंखला प्रचालन तंत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य के साथ सरकार ने फूड चैन परियोजनाओं को "बुनियादी ढांचा दर्जा" प्रदान किया है।

4.3.9 पशुपालन

मवेशियों की उत्पादकता और सतत जेनेटिक सुधार पहलुओं के लिए भोजन और चारे की पर्याप्त उपलब्धता और प्रभावी इस्तेमाल महत्वपूर्ण हैं। भोजन और चारे की पर्याप्त उपलब्धता के प्रयासों को मदद सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष, 2011-12 में विभिन्न राज्यों के लिए ₹ 32.45 करोड़ की राशि जारी की है।

"पशुचिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना तथा मौजूदा पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण" की योजना के तहत वर्ष 2011-12 के दौरान गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए पशुचिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे की मज़बूती हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 898 पशु चिकित्सा अस्पताल और 947 पशु चिकित्सा औषधालय के लिए धन मुहैया कराया गया।

4.3.10 डेयरी क्षेत्र

वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय डेयरी योजना (एनडीपी) चरण-I के क्रियान्वयन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसका क्रियान्वयन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि दुधारु पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।

4.3.11 राष्ट्रीय प्रोटीन परिपूरक मिशन

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के हिस्से के रुप में राष्ट्रीय प्रोटीन परिपूरक मिशन की शुरुआत 22 राज्यों में की गई थी। इसमें डेयरी, मत्स्य पालन, सूअर पालन और बकरी पालन के विकास के घटक समाविष्ट हैं। राज्यों को ₹ 297.50 करोड़ की राशि जारी की गई।

4.3.12 भूमि में निवेश

व्यापक समेकित वाटरशेड क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2011-12 में 9.08 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को समाविष्ट करने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और इन परियोजनाओं के लिए ₹ 1865.92 करोड़ की राशि की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई।

4.3.13 कम लागत के आवास

निम्न आय वर्गों के लोगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और आवासीय वित्त निगमों की ओर से वर्ष 2007-12 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 2,00,000 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। वर्ष 2011-12 में निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों को आवास ऋण के लिए ₹ 300 करोड़ का ब्याज अनुदान प्रदान किया गया।

4.4 पंचायती राज

4.4.1 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 3917 करोड़ की राशि जारी की गई।

4.4.2 पंचायती राज संस्थानों के लिए ई-प्रशासन

पंचायती राज संस्थानों के लिए ई-पंचायत जो एक ई-प्रशासन परियोजना है, के तहत पंचायतों को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने के लिए वेब आधारित अनुप्रयोगों की विस्तृत ृंखला का निर्माण किया गया है। जल्द ही ऐसे और अधिक अनुप्रयोगों की शुरुआत की जाएगी । 65,000 से भी अधिक पंचायतें वेब एकाउंटिंग आधारित सॉफ्टवेयर प्रिआसॉफ्ट का इस्तेमाल कर रही हैं और प्लान प्लस नामक अनुप्रयोग पर विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों, ग्रामीण स्थानीय निकायों और विभागों की 75,000 से भी अधिक योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध है।

शहरों का कायाकल्प

"हमें जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अगले चरण में क्षेत्रीय विकास की दिशा में समेकित और समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। हमें शहरी भारत में निवेश के लिए तथा विनिर्माण और मूल्य वृद्धि सेवा क्षेत्रों में आजीविका कमाने के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। हमें ऊर्जा की कम खपत वाले जन परिवहन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए ज़्यादातर कार्य राज्य सरकारों के स्तर पर किया जाना है। इन सभी क्षेत्रों में हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति और बहुत सी कल्पना शक्ति दिखानी होगी।"

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

5 शहरों का कायाकल्प

5.1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी बुनियादी ढांचा और प्रशासन घटक के तहत वर्ष के दौरान मंजूर ₹ 2,069.48 करोड़ की लागत और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) प्रतिबद्धता के तहत ₹ 955.31 करोड़ की राशि के साथ 27 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इसकी शुरुआत के बाद से अब तक कुल 559 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

₹ 1,102 करोड़ की अनुमानित लागत और ₹ 885.16 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रतिबद्धता के साथ छोटे और मझौले शहरों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा योजना के तहत वर्ष के दौरान 45 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

शहरी गरीबों के लिए मिशन की बुनियादी सेवाएं और समेकित आवास तथा झुग्गी विकास कार्यक्रम घटकों के तहत शहरी गरीबों खासकर झुग्गीवासियों को आवास और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया गया है।

इन योजनाओं के तहत ₹ 42,397 करोड़ की लागत के साथ 1,606 परियोजनाओं को समाविष्ट करते हुए 22 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है। एसीए के जरिए ₹ 22,797 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया और ₹ 13,547 करोड़ सहायता की संचयी राशि जारी की गई।

बीएसयूपी के तहत 65 मिशन शहरों और आईएचएसडीपी के अंतर्गत 920 नगरों/शहरों को समाविष्ट किया गया है। शहरी गरीबों के लिए 15.99 लाख आवास या तो बनाए जा चुके हैं या फिर बनाए जा रहे हैं।

5.2 जन परिवहन

वर्ष के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य भागों में 5.88 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन जोड़ी गई। इसके साथ ही दिल्ली और एनसीआर मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 190.03 किलोमीटर हो गई है। ₹ 35,242 करोड़ की लागत के साथ 103.05 किलोमीटर के दिल्ली एमआरटीएस चरण-3 और ₹ 2,494 करोड़ की लागत के साथ फरीदाबाद तक मेट्रो के विस्तार को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बैंगलोर में महात्मा गांधी रोड से बैयाप्पनहल्ली स्टेशन तक बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत की गई। बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में चल रही मेट्रो परियोजनाओं के अलावा ₹ 12,132 करोड़ के अनुमानित लागत के साथ हैदराबाद में 71.16 किलोमीटर की एक नवीन मेट्रो रेल परियोजना के कार्य को शुरु किया गया।

जेएनएनयूआरएम के तहत 61 शहरों के लिए इंटेलीजेंट परिवहन प्रणाली वाली कुल 15,260 आधुनिक बसों को मंजूरी दी गई। आईटीएस से युक्त 12,564 आधुनिक बसों की पहले ही आपूर्ति की जा चुकी है। इसने पूरे भारतवर्ष में शहरी परिवहन के स्वरुप को बदल दिया है।

5.3 शहरी गरीबों के लिए आवास

5.3.1 राजीव आवास योजना

झुग्गीमुक्त भारत के निर्माण के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरुप 2 जून 2011 को 'राजीव आवास'

योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत उन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास और किफायती आवासीय स्टॉक के निर्माण के लिए बेहतर आवास और मूलभूत नागरिक सेवाओं के प्रावधान के वास्ते झुग्गीवासियों को संपत्ति अधिकार प्रदान करने के इच्छुक हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस योजना से 250 शहरों को लाभ पहुंचने की संभावना है । राजीव आवास योजना के प्रारंभिक चरण की झुग्गी मुक्त शहर नियोजन योजना के तहत 162 शहरों में प्रारंभिक गतिविधियों की शुरुआत के लिए राशि जारी की गई है। इसके अलावा 8,400 आवास इकाइयों के निर्माण के लिए ₹ 197 करोड़ की केन्द्रीय सहायता सहित ₹ 446.20 करोड़ की कुल परियोजना लागत के साथ आठ पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

5.3.2 ऋण जोखिम गारंटी कोष

किफायती आवास के लिए शहरी गरीबों को ऋण और संस्थागत वित्तपोषण मुहैया कराना आरएवाई का महत्वपूर्ण घटक है। मंत्रिमंडल ने मार्च 2012 में ₹ 1,000 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ ऋण जोखिम गारंटी कोष ट्रस्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। बिना किसी तीसरे पक्ष की गारंटी अथवा जमानती अग्रिम सुरक्षा राशि के ऋण प्रदान करने वाली एजेंसियों के द्वारा ईडब्लूएस/एलआईजी व्यक्तियों को दिए गए ₹ 5 लाख तक के ऋण पर गारंटी का प्रावधान इस कोष में है। संभावना है कि ऋण जोखिम गारंटी कोष निम्न आय आवासीय क्षेत्र के लिए लगभग ₹ 20,000 करोड़ तक का ऋण प्रवाह प्रदान करेगा और किफायती आवासीय स्टॉक के निर्माण के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में कारगर होगा ।

5.4 सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन ने केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए बहुत सारे प्रयासों के ज़रिए मूलभूत सेवाओं में निजी निवेश को संभव किया है। शहरी स्थानीय निकायों स्तर पर बैंकेबल परियोजनाओं की योजना तैयार करने के लिए जागरुकता और क्षमता निर्माण इनमें सर्वप्रमुख हैं। इसके परिणामस्वरुप सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए पूंजी निवेश का लाभ प्राप्त करने में मदद मिली है। फिलहाल 70 परियोजनाएं जेएनएनयूआरएम के शहरी बुनियादी ढांचा और प्रशासन घटक के तहत हैं। वे पीपीपी परियोजनाएं जिनमें निजी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश किया गया उनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र प्रमुख है। इसके बाद सीवर और जल आपूर्ति क्षेत्र का स्थान है। कुछ मामलों में शहरी परिवहन क्षेत्र ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी को भी आकर्षित किया है।

आर्थिक पुनरुत्थान

"भारत में आर्थिक विकास की दर अब तेजी के पथ पर है लेकिन इसका लाभ अभी हमारे लाखों गरीबों को पहुंचना बाकी है। हालांकि इस आर्थिक विकास से संसाधन पैदा हुए हैं जिन्हें हम व्यापक गरीबी को दूर करने के लिए अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उद्देश्यपरक ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं।"

श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, यूपीए

6 आर्थिक पुनरुत्थान

6.1 आर्थिक विकास

2007-09 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट तथा 2011-12 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी, विशेषकर यूरोप में, के बावजूद वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही। 2004-05 के स्थिर मूल्य की कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 2011-12 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि 6.9 प्रतिशत रही। वर्ष 2011-12 में विकास की यह धीमी गति वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई मंदी और देश में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए अपनाई गई कड़ी मौद्रिक नीति के कारण रही।

6.2 निवेश को प्रोत्साहन

एफडीआई से संबंधित नीति को और अधिक निवेशक अनुकूल बनाने के लिए इसे और अधिक उदार तथा युक्तिसंगत बनाया गया है। एफडीआई अब सीमित दायित्व भागीदारी में स्वीकृत है। सिंगल ब्रांड रीटेल व्यापार में 100 प्रतिशत तक की एफडीआई को मंजूरी प्राप्त है। इस वर्ष अप्रैल-2011 से फरवरी-2012 के दौरान 28.40 अरब अमेरिकी डॉलर की एफडीआई इक्विटी आई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 55 प्रतिशत अधिक है।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आर्थिक वृद्धि के प्रमुख संचालक हैं। निवेश को तीव्रता प्रदान करने के लिए 17 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने 2012-13 में ₹ 1,30,000 करोड़ से भी अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता दिखाई है।

सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी : वैश्विक तुलना

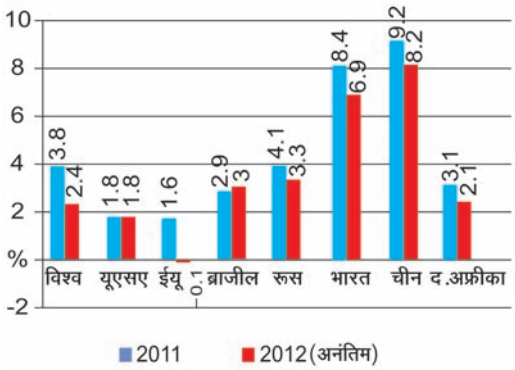

स्रोत : आर्थिक समीक्षा 2011-12

प्रति व्यक्ति आय

(वर्तमान मूल्यों पर)

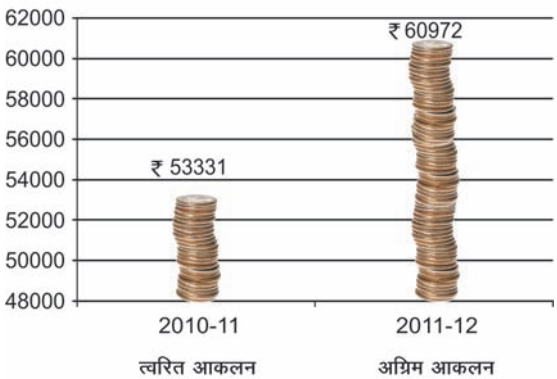

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

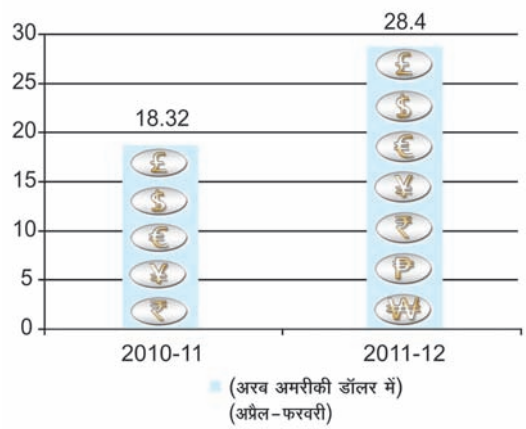

6.3 राजकोषीय सुदृढ़ीकरण

2012-13 के बजट में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया फिर शुरु किए जाने के साथ ही सरकार, वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे को कम करके 2012-13 में इसे 5.1 प्रतिशत तक लाने के लिए प्रयासरत है। राजकोषीय घाटे में यह कमी मुख्य तौर पर राजस्व वृद्धि के द्वारा की जाएगी। उर्वरकों में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के कदम से उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देते हुए उर्वरक सब्सिडी पर व्यय में कमी आने की संभावना है।

निजी उपयोग में वृद्धि

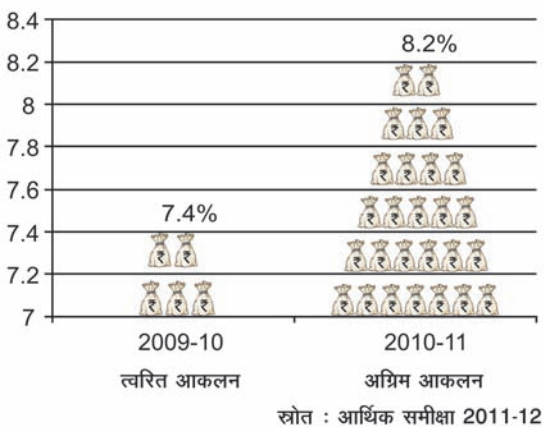

स्रोत : आर्थिक समीक्षा 2011-12

6.4 पूंजी बाजार सुधार

अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों को इस वर्ष पहली बार भारतीय म्यूचूअल फंडों और भारतीय इक्विटी बाजारों में प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमति प्रदान की गई। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत की विशाल निवेश जरुरतों के मद्देनजर बुनियादी क्षेत्र में कंपनियों द्वारा जारी दीर्घावधि कॉरपोरेट बॉन्ड्स में एफआईआई निवेश की सीमा को 5 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 25 अरब अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। निवेश के लिए संसाधनों में वृद्धि के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋण के सरलीकरण के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।

6.5 मूल्य स्थिति

वर्ष 2011 के दौरान शीर्ष थोक मूल्य सूचकांक लगभग 9 प्रतिशत पर रहा। हालांकि मार्च 2012 तक यह धीमा होकर 6.9 प्रतिशत हो गया। प्रमुख सूचियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2011 में 7 प्रतिशत से नीचे पहुंच गया और जनवरी-फरवरी 2012

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

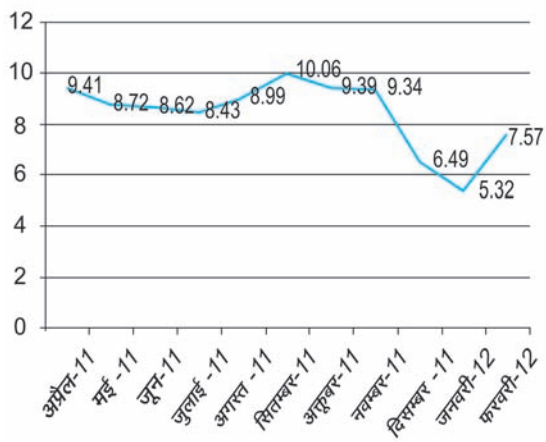

के दौरान इसमें और अधिक गिरावट आई। वस्तुओं की कीमत में वैश्विक वृद्धि और कच्चे पेट्रोलियम की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर मुद्रास्फीति पर पड़ा।

प्राथमिक खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति चिंता का प्रमुख कारण है। हालांकि वर्ष के दौरान औसत खाद्य मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण गिरावट के साथ यह 7.28 प्रतिशत पर आ गई जबकि इससे पहले के वर्षों में इसका औसत स्तर 15 प्रतिशत से अधिक का था।

मार्च 2012 में फिर बढ़ने से पहले कुल थोक मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी 2010 के 20.2 प्रतिशत के मुकाबले भारी गिरावट के साथ जनवरी 2012 में 1.5 प्रतिशत पर आ गई थी ।

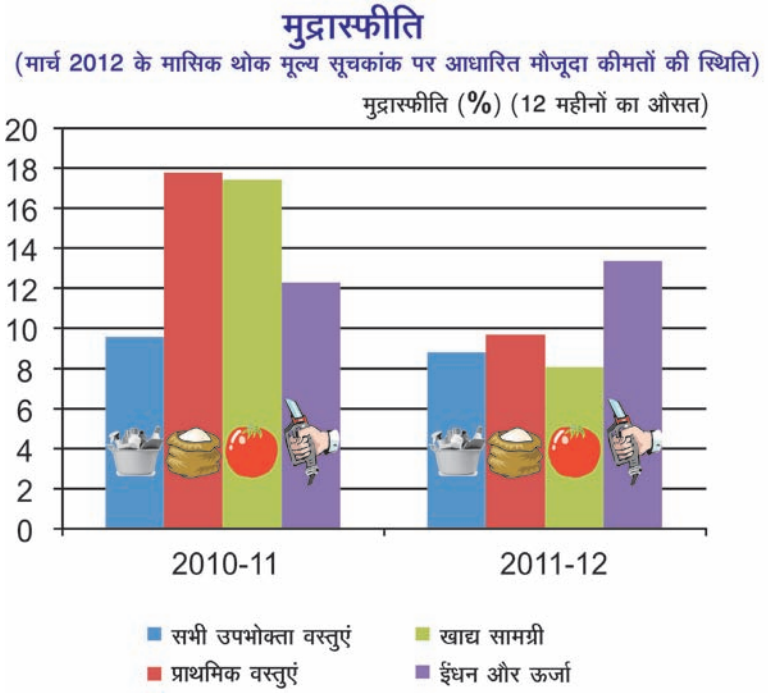

मूल्य स्थिरता सरकार की उच्च प्राथमिकता है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को काबू में रखने के उपायों में चुनिंदा वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध और खाद्यान्न में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध, चुनिंदा खाद्य वस्तुओं के आयात शुल्क को समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दालों और चीनी के आयात की अनुमति देना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित दालों और खाद्य तेलों का वितरण तथा खुले बाजार के लिए चीनी का कोटा बढ़ाना शामिल है।

ईंधन की मुद्रास्फीति पिछले दो वर्षों के दौरान ऊंची बनी रही और यह उच्च शीर्ष मुद्रास्फीति के कारकों में से एक है। वित्त वर्ष के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी रही। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि के बावजूद भारतीय उपभोक्ता इसके प्रतिकूल प्रभाव से आंशिक तौर पर बचे रहे क्योंकि राशन के मिट्टी के तेल, रसोई गैस और डीजल की कीमतें सरकार द्वारा प्रशासित की जा रही हैं और उपभोक्ताओं पर कीमतों की वृद्धि का केवल आंशिक प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कच्चे तेल पर 5 प्रतिशत के सीमा शुल्क को हटाया गया, पेट्रोल और डीजल पर निर्यात कर को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया और डीजल पर उत्पाद शुल्क में ₹ 2.60 प्रति लीटर की कमी की गई है। राशन के मिट्टी के तेल और रसोई गैस सब्सिडी योजना 2002 और मालभाड़ा सब्सिडी योजना 2002 को भी 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दिया गया है।

6.6 माल उत्पादन और सेवाएं

6.6.1 राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के हिस्से को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने, अतिरिक्त 10 करोड़ रोजगारों के सृजन, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, घरेलू मूल्य संवर्धन के स्तर को बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ावा देने तथा भारत को अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र के रुप में

विकसित करने के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ इस वर्ष राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की गई।

6.6.2 भारी उद्योग

भारी उद्योग विभाग के तहत कार्यरत 32 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने 12.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 56,007.62 करोड़ से भी अधिक का सकल कारोबार किया। उनके द्वारा सम्मिलित रूप से ₹ 7,430.78 करोड़ के वार्षिक मुनाफे को प्राप्त करने की संभावना है। प्रख्यात अमेरिकी कारोबारी पत्रिका 'फोर्ब्स' द्वारा 'भेल' को विश्व की नौंवी सर्वाधिक नवप्रवर्तन कंपनी का स्थान प्रदान किया गया है। ऑटोमोटिव क्षेत्र ने वर्ष 2011-12 में 12.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। ऑटोमोबाइल के निर्यात में 25.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और प्रयोग के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की।

6.6.3 दिल्ली - मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना

वैश्विक निर्माण और निवेश गंतव्य के रूप में माल भेजने के लिए पश्चिमी समर्पित माल गलियारे की एक तरफ विकसित की जा रही दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना (डीएमआईसी) ने शुरू होने के बाद से काफी प्रगति की है। परियोजना क्षेत्र में बन रहे नये औद्योगिक शहरों को दुनिया के अन्य हिस्सों में हाल ही में स्थापित औद्योगिक शहरों के समान स्तर का बनाया जा रहा है। डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन कोष भी बनाया जा रहा है जिसमें नये औद्योगिक शहरों के विकास के लिए ₹ 17,500 करोड़ की राशि होगी। जापान सरकार ने डीएमआईसी रिवॉल्विंग कोष के लिए 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देकर डीएमआईसी को सहायता देने की योजना बनाई है।

बुनियादी ढांचे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

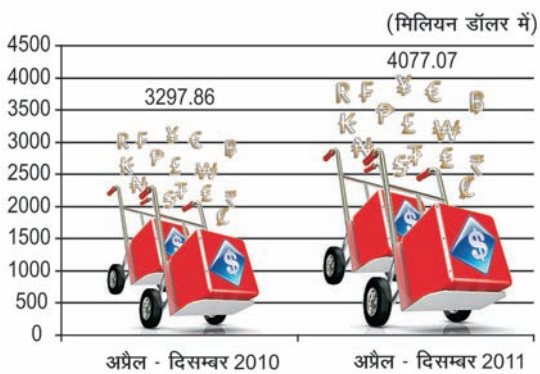

स्रोत : डीआईपीपी

6.6.4 सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्यम

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति को मार्च 2012 में अधिसूचित किया गया। इस नीति के तहत प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को तीन वर्षों की अवधि में अपनी कुल वार्षिक खरीद की न्यूनतम 20 प्रतिशत खरीद सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्यमों से करने के उद्देश्य के साथ इस उद्यम क्षेत्र से खरीद के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। इसमें से 4 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सुक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्यमों से खरीद के लिए सुनिश्चित है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2011-12 में बैंकों द्वारा ₹ 930 करोड़ की मार्जिन राशि सब्सिडी प्रदान की गई। इससे 47,000 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और 4.2 लाख से भी अधिक लोगों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन में मदद मिलेगी।

6.6.5 औषध

भारतीय औषध उद्योग की असली शक्ति उसका ज्ञान, कौशल, कम उत्पादन लागत और गुणवत्ता है। पिछले पांच वर्षों से इसने 14 प्रतिशत की जबर्दस्त संचयी औसत वृद्धि दर हासिल की है। भारतीय औषध उद्योग के सकल कारोबार ने एक लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है जिसमें से लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा निर्यात से है। कुल वैश्विक उत्पादन की लगभग 10 प्रतिशत आपूर्ति और वैश्विक जैनेरिक दवाओं की 20 प्रतिशत मात्रा के साथ भारतीय औषध उद्योग विश्व में मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है। एचआईवी प्रतिरोधी दवाओं के मामले में वैश्विक जरूरतों के 30 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है। इन सारी उपलब्धियों के साथ ही आम आदमी को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध हैं - जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। औषध क्षेत्र में घरेलू कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास व्यय ₹ 3,342.32 करोड़ और विदेशी कंपनियों द्वारा ₹ 934.40 करोड़ का है जो कि बिक्री का क्रमशः 4.50 प्रतिशत और 4.01 प्रतिशत है। ₹ 20,000 करोड़ के सकल कारोबार के साथ चिकित्सकीय उपकरण और निदान क्षेत्र में भारत वर्तमान में एशिया के सबसे बड़े बाजारों में चौथे स्थान पर है। आम आदमी के लिए उपयुक्त दरों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का एक नई औषध मूल्य नीति पेश करने का प्रस्ताव है।

6.6.6 पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र

सरकार की यह नीति विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में वैश्विक पैमाने के उद्योग समूहों के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने की ओर केंद्रित है। आंध्रप्रदेश, गुजरात और ओडिशा में अनुमोदित क्षेत्रों के लिए लगभग ₹ 1.3 लाख करोड़ का निवेश पहले ही किया जा चुका है। इन विशेष क्षेत्रों के जरिए ₹ 40,000 करोड़ से भी अधिक के बुनियादी ढांचे और लगभग 26 लाख लोगों के लिए रोज़गार सृजन की संभावना है। सरकार इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ₹ 1,800 करोड़ का संभाव्यता अंतर वित्तपोषण उपलब्ध कराएगी।

6.6.7 दूरसंचार

वर्ष के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 84.63 करोड़ से बढ़ कर 94.35 करोड़ हो गई जिसमें ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों में लगभग 4.24 करोड़ की वृद्धि शामिल है। कुल दूरसंचार घनत्व 70.89 प्रतिशत से बढ़कर 78.10 प्रतिशत हो गया और वायरलेस कनेक्शनों की संख्या 81.16 करोड़ से बढ़ कर 91.11 करोड़ हो गई। वर्ष के दौरान ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या 1.18 करोड़ से बढ़ कर 1.35 करोड़ हो गई।

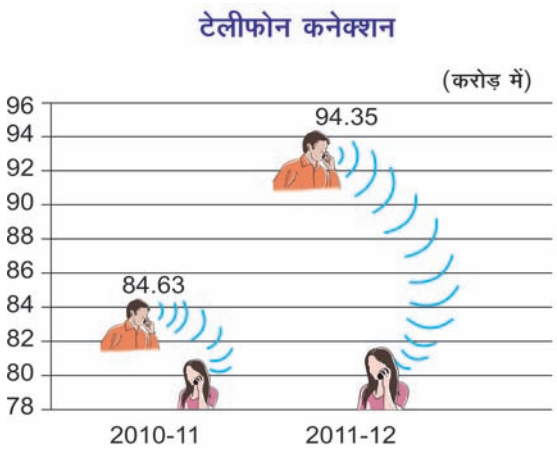

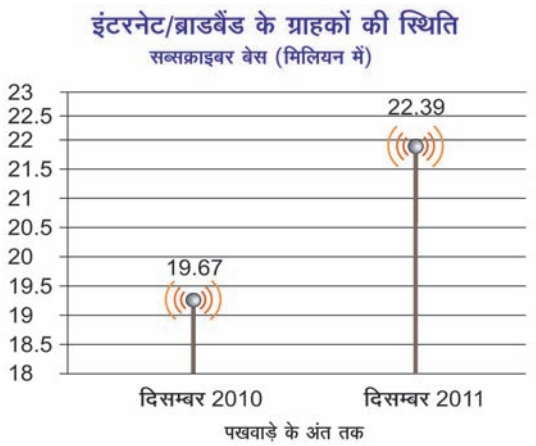

6.6.8 सूचना प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रॉनिक्स पर 3.10.2011 को जारी राष्ट्रीय मसौदा नीति में इस क्षेत्र के विकास के लिए एक खाका तैयार किया गया है। मसौदा नीति में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स सहित देश की जरूरतों को पूरा करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिये उपयुक्त तथा प्रतिस्पर्धा के लायक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण उद्योग की कल्पना की गई है।

भारतीय आईटी-बीपीओ उद्योग इस वर्ष 100 अरब डॉलर के महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच गया। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर उत्पादन क्षेत्र की पहचान एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में की गई है और इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा कारणों से सरकारी खरीद में देश में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स सामान उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने और सरकारी खरीद की नीति के बारे में अधिसूचना फरवरी 2012 में जारी की गई।

उच्च अध्ययन और अनुसंधान के सभी संस्थानों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है, जिसमें जानकारी के आदान-प्रदान और सहयोगपूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक तेज गति वाला डेटा संचार नेटवर्क है। 2.5 गीगा बाइट प्रति सैकंड क्षमता वाली मुख्य बुनियाद में 21 बिन्दु होंगे। उच्च अध्ययन और अत्याधुनिक अनुसंधान के कार्य में लगे करीब 681 संस्थानों को नेटवर्क से जोड़ा गया है और 52 वर्चुअल क्लास रूम स्थापित किये गए हैं।

ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आज राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और ब्लॉक मुख्यालयों तक पहुंच गया है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत, अब देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। ₹ 20,000 हजार करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाली यह परियोजना दो वर्ष में पूरी हो जाएगी।

6.6.9 इस्पात

वर्ष 2011-12 में अपरिष्कृत इस्पात की उत्पादन क्षमता बढ़कर 8 करोड़ 80 लाख टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) हो गई, जो 2010-11 में 7 करोड़ 80 लाख टन प्रति वर्ष थी; अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन 2011-12 में बढ़कर 7 करोड़ 17 लाख 40 हजार टन हो गया, जो 2010-11 में 6 करोड़ 95 लाख 70 हजार टन था। इसके अलावा भारत ने दुनिया के सबसे बड़े स्पॉन्ज आयरन उत्पादक के रूप में अग्रणी स्थान बनाए रखा।

सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों ने वर्ष के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया और कर देने के बाद अप्रैल-दिसम्बर, 2011 की अवधि के दौरान उनका सम्मिलित लाभ करीब ₹ 8,390 करोड़ रहा। एनएमडीसी ने 3 एमटीपीए की क्षमता के साथ कर्नाटक में समेकित

इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए रूस की इस्पात बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी, सेवर्सतल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। कच्चे माल के मामले में देश के हितों की रक्षा के लिए एनएमडीसी ने ऑस्ट्रेलिया के *लीगेसी आयरन ओर लिमिटेड* के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये, ताकि कंपनी में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी प्राप्त की जा सके। इसके लिए करीब 1 करोड़ 88 लाख 90 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश किया गया।

6.6.10 खान

खान और खनिज (विकास और नियमन) विधेयक, 2011 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक वर्तमान खान और खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम 1957 का स्थान लेगा। इस विधेयक में खनन क्षेत्र में पूर्ण और समग्र सुधारों की व्यवस्था है, जिसके तहत दीर्घकालिक खनन, स्थानीय क्षेत्र विकास और खनन कार्यों से प्रभावित लोगों के साथ लाभ को बांटने का प्रावधान किया गया है।

खान मंत्रालय ने मंत्रालय के कामकाज को व्यवस्थित करने और इसे सीधे राष्ट्रीय खनिज नीति से जोड़ने के लिए एक विस्तृत सामरिक योजना दस्तावेज "भारतीय खनिज क्षेत्र की संभावनाओं को बाहर लाना" तैयार किया है।

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (नाल्को) ने गुजरात में काकरापार में 1400 मेगावाट के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किये। कंपनी आरंभ में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ ₹ 894 करोड़ निवेश करेगी, यह हिस्सेदारी बाद में बढ़कर 49 प्रतिशत हो जाएगी।

6.6.11 वस्त्र

समेकित कौशल विकास योजना वर्ष 2010-12 के दौरान 2.56 लाख लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए ₹ 272 करोड़ की लागत से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 2011-12 के दौरान 28,500 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के पुनर्गठन और 11वीं योजना में उसके खर्च को ₹ 8,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 15,404 करोड़ कर दिए जाने से 2011-12 के दौरान ₹ 16,019 करोड़ लागत की परियोजनाओं के संदर्भ में लगभग ₹ 3,000 करोड़ की अनुदान राशि खर्च की गई। समेकित वस्त्र पार्कों की योजना के अंतर्गत मंजूर 40 वस्त्र पार्कों में से 24 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन को फिर से चालू करने के काम ने जोर पकड़ा है। कपड़ा उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इसमें 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के महत्व और संभावना को समझते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए ₹ 500 करोड़ की एक पायलट योजना की घोषणा की गई।

6.6.12 हथकरघा और हस्तशिल्प

2011-12 के दौरान हथकरघा बुनकरों और उनकी सहकारी समितियों के कर्ज माफ करने के लिए ₹ 3,884 करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई। इस पैकेज से करीब 3 लाख हथकरघा बुनकरों और 15,000 सहकारी समितियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त बुनकरों को सस्ता कर्ज और कम दरों पर धागा देने के लिए ₹ 2,362.15 करोड़ के एक विस्तृत पैकेज की घोषणा की गई। वर्ष 2011-12 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए कर्ज गारंटी कोष ट्रस्ट में ₹ 82.50 लाख की राशि रखी गई, ताकि ऋण के मामले में कर्ज गारंटी सुरक्षा में 18,000 और हथकरघा बुनकरों को शामिल किया जा सके।

वर्ष 2011-12 में कुल हस्तशिल्प निर्यात में 18.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दौरान 351 करोड़ 39 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य की हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया, जबकि उससे पिछले वर्ष 295 करोड़ 53 लाख 80 हजार अमेरिकी डॉलर मूल्य की हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया था। मेगा क्लस्टर योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर में 2,000 करघों को बदलने के लिए ₹ 10 करोड़ मंजूर किये गए।

बुनकरों के 75,000 से ज्यादा बच्चों को प्रति वर्ष ₹ 1,200 की छात्रवृत्ति देने के साथ 5.91 लाख बुनकरों और सहायक कर्मचारियों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान की गई। इसी अवधि के दौरान राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 7.21 लाख शिल्पियों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान की गई, जबकि 2.08 लाख शिल्पियों को जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा सुरक्षा दी गई।

6.6.13 जूट

सरकार ने 2011-12 जूट वर्ष में अपरिष्कृत जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 1,675 प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर जूट वर्ष 2012-13 में ₹ 2,200 प्रति क्विन्टल कर दिया।

6.7 ऊर्जा

6.7.1 कोयला

वर्ष 2011-12 में कोयले का कुल उत्पादन 53 करोड़ 98 लाख 14 हजार टन और लिग्नाइट उत्पादन 2 करोड़ 41 लाख 90 हजार टन हुआ।

सरकार ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए ब्लॉक आवंटित करने के नियमों को अंतिम रूप दे दिया और इन्हें फरवरी में अधिसूचित कर दिया गया। साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक बोली सुनिश्चित करने के लिए खानों और खनिज पदार्थ (विकास और नियमन) कानून में संशोधनों को शुरू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई।

1 जनवरी 2012 से सरकार ने गैर-कोकिंग कोल की उपयोगी हीट वेल्यू आधारित ग्रेडिंग और ग्रॉस केलोरिफिक मूल्य आधारित वर्गीकरण की तरफ बढ़ने का फैसला किया।

6.7.2 बिजली

2011-12 के दौरान 20,502 मेगावाट की समग्र उत्पादन क्षमता के बिजली संयंत्र लगाए गए। एक वर्ष में यह सबसे अधिक अतिरिक्त क्षमता है,

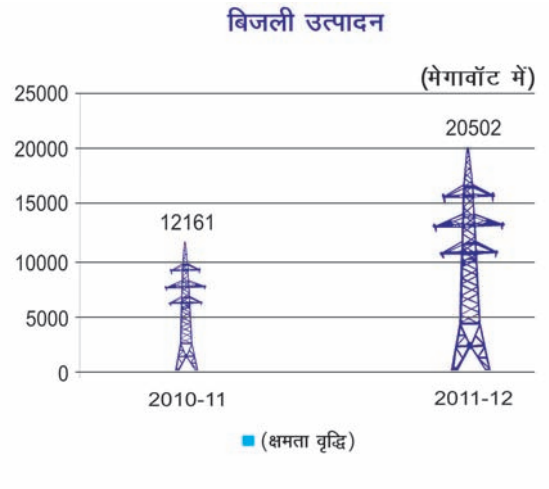

जबकि पिछले वर्ष 12,160 मेगावाट की क्षमता जोड़ी गई थी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू किये गए विभिन्न ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 2,988 मेगावाट बिजली क्षमता पैदा करने की आवश्यकता नहीं रही।

वर्ष 2011-12 में ₹ 9,595.46 करोड़ की बिजली वितरण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और पुनर्गठित त्वरित बिजली विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 1,667.87 करोड़ की राशि जारी की गई। देश में बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नई पहल करते हुए सरकार ने एक राष्ट्रीय बिजली कोष की स्थापना को मंजूरी दी, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बिजली वितरण कंपनियों को दिये गए कर्ज पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगा। वितरण सुधारों से जुड़ा यह कोष 14 वर्ष से अधिक समय के दौरान ₹ 8,450 करोड़ से ज्यादा ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगा जो अगले दो वर्षों में मंजूर की जाने वाली वितरण योजनाओं के लिए दिये जाने वाले ₹ 25,000 करोड़ के कर्ज से संबद्ध होगी।

ईंधन की आपूर्ति में आने वाली अड़चनों को खत्म करने के लिए सरकार ने एक साहसिक कदम उठाते हुए कोल इंडिया लिमिटेड को सलाह दी कि वह उन ताप बिजली संयंत्रों के साथ ईंधन की आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर करे, जिन्हें या तो 11वीं योजना के दौरान शुरू किया गया अथवा उन्हें 12वीं योजना के पहले तीन वर्षों में शुरू किया जाना है और जिन्होंने बिजली वितरण कंपनियों के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौता किया है।

6.7.3 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए न केवल घरेलू तेल एवं गैस भंडारों का त्वरित अन्वेषण किया गया बल्कि विदेशों में भी अधिग्रहण किया गया तथा तेल-शोधन क्षमता में वृद्धि की गई। वर्ष के दौरान देश में कच्चे तेल का उत्पादन 3.80 करोड़ मीट्रिक टन रहा।

मध्य प्रदेश में बीना और पंजाब में भटिंडा में दो नए तेल शोधन संयंत्र लगाये गए। ये तेल शोधन संयंत्र देश के मध्य और उत्तरी हिस्सों में बीएस 4 मानक वाले ईंधनों की उपलब्धता बढ़ाएंगे। इस वर्ष 25.680 एमएमटीपीए रिफाइनिंग क्षमता बढ़ी, जिससे कुल रिफाइनिंग क्षमता बढ़कर 213.066 एमएमटीपीए हो गई।

आम आदमी को बुनियादी पेट्रोलियम उत्पाद वाजिब मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कच्चे तेल पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया, पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को 5 प्रतिशत घटा दिया और डीजल पर उत्पाद शुल्क ₹ 2.60 प्रति लीटर कम कर दिया।

23 मार्च 2012 को प्रधानमंत्री ने गेल की 2,200 किमी. लंबी दहेज-विजयपुर- दादरी-बवाना-नंगल-भटिंडा पाईपलाइन राष्ट्र को समर्पित की।

₹ 13,000 करोड़ की लागत से स्थापित यह पाइपलाइन 8 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड से होकर गुजरती है। यह पाइपलाईन न केवल वर्तमान नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ेगी, बल्कि देश के उत्तरी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की कमी को भी दूर करेगी। रिकॉर्ड 45 महीनों में पूरी हुई इस परियोजना से 40 औद्योगिक केन्द्रों में विकास को नई गति मिलेगी।

6.7.4. परमाणु ऊर्जा

यूपीए सरकार ने परमाणु सुरक्षा का उच्चतम स्तर सुनिश्चित करते हुए देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे। सरकार की अंतर्राष्ट्रीय असैनिक परमाणु पहल की सफलता तब स्पष्ट तौर पर देखने को मिली जब वर्ष के दौरान 3,245.50 करोड़ यूनिट परमाणु बिजली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। परमाणु ईंधन का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कुल स्थापित परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता 4,780 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि 7 नए परमाणु बिजली रिएक्टरों का निर्माण चल रहा है जिससे स्थापित क्षमता बढ़कर 5,300 मेगावाट हो जायेगी।

मार्च 2011 में जापान में फुकुशिमा में हुई घटनाओं के बाद, सरकार ने सभी परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की सुरक्षा की समीक्षा करने का निर्देश दिया, चाहे वह काम कर रहे थे या निर्माणाधीन थे। परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011 संसद में पेश किया गया। परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व कानून, 2010 नवंबर में लागू किया गया।

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मेघालय और झारखंड में यूरेनियम ऑक्साइड के 9,620 टन अतिरिक्त भंडार मिलने के साथ ही देश के यूरेनियम संसाधन बढ़ गए और यूरेनियम ऑक्साइड का भंडार बढ़कर करीब 1,72,400 टन हो गया। दो और यूरेनियम खानें चालू की गई हैं जिससे देश में संचालित यूरेनियम खानों की संख्या आठ हो गई है ।

6.7.5 नये और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

वर्ष 2011-12 की समाप्ति तक ग्रिड में समाई नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता करीब 25,000 मेगावाट तक पहुंच गई। इसमें से करीब 5,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता 2011-12 के दौरान बढ़ी, जो किसी भी एक वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे अधिक अतिरिक्त क्षमता है।

देश में पवन ऊर्जा की ग्रिड में समाई उत्पादन क्षमता 17,353 मेगावाट, सौर ऊर्जा की 941 मेगावाट, लघु पनबिजली की 3,396 मेगावाट और जैव ऊर्जा 3,225 मेगावाट है। 2011-12 में 1056 गांवों में पीवी सौर प्रकाश व्यवस्था की गई, जो प्रकाश के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने वाले कुल गांवों/ खेड़ों का 11 प्रतिशत है।

6.8 परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचा

6.8.1 सड़कें

इस वर्ष के दौरान, 7,957 किलोमीटर की 62 परियोजनाओं के ठेके दिये गए। यह पिछले वर्ष की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है और अब तक की सर्वाधिक है। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में 854 किलोमीटर लम्बी सड़कें और पूर्वोत्तर में विशेष क्षेत्र सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 992 किलोमीटर लम्बी सड़कों के भी ठेके दिये गए। अतः वर्ष के दौरान 9,803 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं के ठेके प्रदान किये गए ।

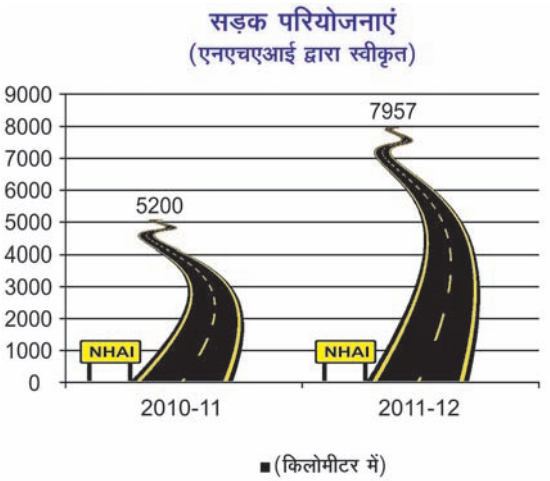

इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह की नई व्यवस्था के अंतर्गत सड़क का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति, पथ कर का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करके टोल प्लाजा पर बिना रूके यात्रा कर सकता है। इसका अगले दो वर्षों में देश के अन्य भागों में विस्तार किया जाएगा।

6.8.2 नागर विमानन

इस वर्ष भारत में नागर विमानन के सौ वर्ष पूरे हुए। जनवरी-दिसंबर 2011 की अवधि में हवाई अड्डों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या क्रमशः 11करोड़ 92 लाख और 3 करोड़ 99 लाख रही, जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में 18.6 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इस क्षेत्र में तंगी से निपटने के लिए, सरकार ने विमान सेवा कंपनियों को विमान टर्बाइन ईंधन के आयात की तथा एक अरब अमरीकी डॉलर तक विदेशी व्यावसायिक कर्जों की भी इजाजत दी ।

एयरइंडिया की कायापलट करने और उसे मुनाफे में लाने के लिए सरकार ₹ 30,000 करोड़ रुपये से अधिक इक्विटी प्रदान करने पर सहमत हो गई। एयरइंडिया के कामकाज में सुधार के लिए, अनेक उपाय किये गये, जिनमें घाटे वाले मार्गों का पुनर्गठन, पट्टे पर लिये गए विमानों को लौटाने, नये विमान शामिल करने, पुराने विमान हटाने और ठेके के कर्मचारियों की संख्या में कटौती शामिल है।

जलगांव, लखनऊ, इंदौर और राजामुंदरी में नये हवाई अड्डों और इमारतों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दुर्घटनाओं की जांच के कार्य को नियामक संस्था डीजीसीए से अलग कर मंत्रालय के तहत एक हवाई जांच ब्यूरो की स्थापना की गई है। यात्रियों और उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दों के लिए भी एक नई नागरिक विमानन नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

6.8.3 नौवहन - बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग

वर्ष 2011-12 के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत तीन नई परियोजनाओं के ठेके

दिये गए, जिससे करीब ₹ 7,977 करोड़ के निवेश से क्षमता में काफी वृद्धि होगी। देश के ध्वज के तहत चलने वाले पोतों की टनेज भी 11वीं योजना के लिए तय एक करोड़ के लक्ष्य को पार कर गयी और इस दौरान कुल टनेज का आंकड़ा 1 करोड़ 10 लाख 30 हजार रहा। अंतर्देशीय जलमार्गो में तब एक बड़ी सफलता मिली, जब एनटीपीसी, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और जिंदल आईटीएफ लिमिटेड ने फरक्का बिजली संयंत्र के लिए आयातित कोयले की ढुलाई के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसमें करीब ₹ 650 करोड़ का निवेश होगा।

6.8.4 रेलवे

भारतीय रेलवे ने माल और यात्रियों को लाने-ले जाने में वृद्धि को बरकरार रखा। माल ढुलाई में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि यात्रियों को लाने-ले जाने में 5.29 प्रतिशत की बढ़ातेरी हुई। राजस्व 9.13 प्रतिशत बढ़ गया। प्रणाली में 700 किलोमीटर से ज्यादा नई रेलवे लाइनें जोड़ी गईं और 856 किलोमीटर पटरियों को बड़ी लाइन में बदला गया। इसके साथ ही 752 किलोमीटर पटरी को दोहरा किया गया और 1,165 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया। वर्ष के दौरान 129 नई रेलगाड़ियां शुरू की गई। वर्ष के दौरान 582 रेल इंजनों और 1,8357 बोगियों को बेड़े में शामिल किये जाने के साथ ही रोलिंग स्टॉक का उत्पादन और अधिग्रहण सर्वश्रेष्ठ रहा।

देश की पहली वातानुकूलित सुपर फास्ट डबल-डेकर रेलगाड़ी को अक्तूबर 2011 में रवाना किया गया। 236 रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में मंजूरी दी गई और 549 अन्य स्टेशनों का उन्नयन करके उन्हें आदर्श स्टेशनों की श्रेणी में लाने का काम पूरा किया गया।

पश्चिमी और पूर्वी समर्पित मालभाड़े गलियारे का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे वर्तमान यात्री मार्गों पर भीड़-भाड़ कम होगी और तेज गति की कुछ और रेलगाड़ियां चलाई जा सकेंगी। सुरक्षित रेल प्रणाली प्रदान करने के लिए, रेलगाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली की स्थापना जैसे कदम उठाए गए हैं।

6.9 बुनियादी ढांचा विकास में अन्य पहल

6.9.1 बुनियादी ढांचा ऋण कोष

बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए विदेशी कोष को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचा ऋण कोष को अधिसूचित किया गया है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए ये कोष बाहरी पेंशन कोषों, बीमा कंपनियों, सार्वभौम संपति कोषों, आदि से संसाधनों को एकत्र करेगा। ₹ 8,000 करोड़ के प्रारंभिक आकार के साथ प्रथम बुनियादी ढांचा ऋण कोष की शुरुआत की गई है।

6.9.2 सार्वजनिक-निजी भागीदारी

आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्ष 2011-12 में सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति ने लगभग ₹ 45,081 करोड़ की कुल परियोजना लागत की 52 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। संभाव्यता अंतर वित्तपोषण योजना के तहत ₹ 3,251 करोड़ की सहायता के साथ 42 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।

6.10 कराधान

6.10.1 प्रत्यक्ष कर संहिता

प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 (डीटीसी) को संसद में अगस्त 2010 में पेश किया गया। डीटीसी विधेयक का उद्देश्य कर प्रणाली की प्रभावात्मकता और साम्यता में सुधार लाना तथा स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना है। इस विधेयक को जांचकर संसंदीय स्थायी समिति ने मार्च 2012 में अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

6.10.2 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

संसद और राज्य विधानमंडलों को वस्तु एवं सेवा कर के लिए कानून बना सकने का अधिकार प्रदान करने के लिए 22 मार्च 2011 को लोक सभा में प्रस्तुत संविधान (115वां संशोधन) विधेयक को जांच के लिए वित्त पर स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

जीएसटी के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत जीएसटी नेटवर्क स्थापित करने के लिए कार्य उन्नत चरण पर है। केंद्र और राज्य सहित विभिन्न हितधारकों को सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल की स्थापना की जाएगी। भविष्य में जीएसटी के वास्तविक संचालन में एसपीवी सेवाएं महत्वपूर्ण होंगी साथ ही इससे जीएसटी के क्रियान्वयन से पूर्व केंद्र/राज्य प्रशासनों को बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करने की भी संभावना है।

6.11 वाणिज्य

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई बहु आयामी रणनीति के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात 303 अरब अमरीकी डॉलर और कुल व्यापार करीब 792 अरब अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया। बागान क्षेत्र में शामिल चाय, कॉफी, रबर और मसालों का निर्यात 106 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर की तुलना में, पहले नौ महीनों में 150 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया।

अपने निर्यात को 2013-14 तक दोगुना कर 500 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने की भारत की रणनीति के अंतर्गत नये बाजारों तक पहुंच को महत्वपूर्ण नीतिगत प्रोजेक्ट उपाय माना गया। पिछले वर्ष भारत ने दो महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते किये। इस दौरान भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता और भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता किया गया। वर्ष 2015 के लिए 90 अरब अमरीकी डॉलर का भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य रखा गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कानून और नियमों के 2006 में अधिसूचित होने के बाद छह वर्षों में, 589 सेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई, जिनमें से इस समय 389 अधिसूचित किये जा चुके हैं। आधारभूत सुविधाओं के लिए डेवलपरों द्वारा दिये गए करीब दस लाख मानव दिवस रोजगार के अलावा सेज ने 8 लाख

से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में एसईजेड से कुल ₹ 3,64,477.73 करोड़ का निर्यात हुआ जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 15.39 प्रतिशत अधिक है।

6.12 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

वर्ष 2011-12 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड को 'महारत्न' का दर्जा और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन को 'नवरत्न' का दर्जा प्रदान किया गया। इससे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 'महारत्न' उद्यमों की संख्या 5 और 'नवरत्न' की संख्या 16 हो गई हैं। ऐसे सार्वजनिक उद्यमों द्वारा विदेशों में कच्चे माल की संपदा के अधिग्रहण के लिए एक नवीन नीति को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरूत्थान और पुनर्गठन के कार्य के वास्ते सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की गई। अब तक ₹ 25,908 करोड़ की कुल सहायता के साथ 43 रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का पुनरूत्थान किया गया है। पुनरूत्थान के लिए मंजूर 43 उद्यमों में से 24 ने 2010-11 में लाभ/कर-पूर्व लाभ प्राप्त किया है। 13 उद्यमों ने तीन वर्षों या इससे अधिक की अवधि में लगातार मुनाफा दर्ज किया है।

6.13 आर्थिक सुधारों के उपाय जारी रखने के रूप में विनिवेश

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ओएनजीसी ने सार्वजनिक प्रतिभूतियों के जरिए ₹ 13,894 करोड़ से अधिक की राशि जुटायी है। सभी विनिवेश मुनाफे को सामाजिक क्षेत्र योजना के तहत पूंजी व्यय के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के रूप में शुरू किया गया विनिवेश कई चरणों से गुजर चुका है। वर्तमान विनिवेश चरण में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की समृद्धि को लोगों के साथ साझा करने और बेहतर कंपनीगत प्रशासन के दोहरे उद्देश्य के साथ इन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने पर बल दिया गया है।

पर्यावरण संरक्षण

"राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण एक ऐसा उदाहरण है, जहां हम इस पवित्र नदी के संरक्षण के लिए नई संस्थागत पहल कर रहे हैं। इस प्राधिकरण का उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण करना तथा व्यापक नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना है। हमें आशा है कि सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों और इस नये दृष्टिकोण के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे।"

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

7 पर्यावरण संरक्षण

7.1 जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना

राष्ट्रीय कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल और भारत में विकास के दौरान पर्यावरण पर प्रतिकूल असर न डालने वाली रणनीति को बढ़ावा देने की बात कही गई है। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद् के तहत 8 मिशन बनाए गए हैं- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन; राष्ट्रीय जल मिशन; ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के बारे में राष्ट्रीय मिशन; चिरस्थायी प्राकृतिक वास; जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान; हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन; हरित भारत तथा चिरस्थायी कृषि।

7.2 वन संरक्षण

राज्यस्तर के अनुपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरणों के लिए ₹ 848 करोड़ की राशि जारी की गई, ताकि वन कटाई के बदले नये पेड़ लगाने के साथ ही वनों का बचाव, प्राकृतिक संरक्षण और पुनरुद्धार किया जा सके।

7.3 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की अक्तूबर 2010 में स्थापना की गई, ताकि पर्यावरण को बचाने से जुड़े मामलों का प्रभावकारी तरीके से और तेजी से निपटारा किया जा सके तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। इसमें पर्यावरण से जुड़े किसी कानूनी अधिकार को लागू करना और व्यक्तियों तथा संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना शामिल है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कार्यालय पाँच स्थानों- दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं।

7.4 गंगा स्वच्छता अभियान

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) ने करीब ₹ 2,600 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें सीवर नेटवर्क, गंदे पानी के शोधन संयंत्र और उसकी पम्पिंग, विद्युत शवदाह गृहों, सामुदायिक शौचालयों और नदी के सामने के हिस्से का विकास करना शामिल है। 2011-12 में एनजीआरबीए की तीसरी बैठक हुई।

परियोजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए अनेक नवपरिवर्तन किये गये। इनमें त्रिपक्षीय सहमति पत्र, स्वतंत्र संस्थानों द्वारा परियोजना का मूल्यांकन, तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण शामिल है। गंगा बेसिन में पड़ने वाले पाँच राज्यों में राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरणों का गठन किया गया, ताकि राज्यस्तर पर

संरक्षण गतिविधियों का बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन किया जा सके।

केन्द्र सरकार ने एनजीआरबीए कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से एक अरब अमरीकी डॉलर की सहायता प्राप्त की है। विश्व बैंक की परियोजना एनजीआरबीए के तात्कालिक लक्ष्य गंगा स्वच्छता अभियान में सहायता करेगी।

7.5 बाघ संरक्षण

देश में बाघों, सह-परभक्षियों और उनके शिकार की स्थिति के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट जुलाई, 2011 में जारी की गई। यह देश में दूसरे दौर की गणना थी। इससे पहले 2006 में की गई गणना से संकेत मिला था कि देश में 1,411 बाघ थे; वर्तमान आंकलन बताते हैं कि यह संख्या करीब 20 प्रतिशत बढ़कर 1,706 हो गई है।

नए क्षितिज

"सांस्कृतिक केंद्रों का यह काम भी है कि वे शहरों के अलावा दूर-दूर तक गांवों और मुफ़स्सल इलाकों के दर्शकों तक पहुंचें। उनमें अपने देश की सांस्कृतिक संपन्नता की संवेदना पैदा करते हुए, उन्हें इसका महत्व बताएं, उन्हें यह समझाएं कि इन परंपराओं को जीवित रखना क्यों आवश्यक है।"

श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, यूपीए

8 नए क्षितिज

8.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी

8.1.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवरचना बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करना

वैज्ञानिक और नवरचना अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों ने पारित कर दिया और 6 फरवरी 2012 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई। अकादमी अनुसंधान और प्रशिक्षण के उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी, जो देश के वर्तमान विश्वविद्यालय सामान्य रूप से प्रदान नहीं करते। पाठ्यक्रम, अध्यापन और मूल्यांकन, उन्नतिशील होगा और शिक्षा के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले लोग तैयार करने की दिशा में लक्षित होगा।

सरकार ने उद्योग की नवाचार क्षमता बढ़ाने तथा उसे प्रोत्साहित करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने और टिकाऊ बनाने के लिए जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बीआईआरएसी) की स्थापना की मंज़ूरी दे दी है। कंपनी अधिनियम की धारा 25 के रूप में स्थापित बीआईआरएसी, उद्योग को मुख्य रूप से नए उद्योग की शुरूआत करने तथा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सभी सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग और एक्सेस नीति (एनडीएसएपी) को सरकार ने मंजूरी दी और अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित आंकड़ों के प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देना है। साथ ही सरकारी विभागों के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान और सिविल सोसायटी तक उनकी पहुंच को बढ़ावा देना है। यह नीति शासन में पारदर्शिता और दक्षता के लिए सरकार की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है।

10-15 वर्ष की आयु वर्ग के 6.2 लाख स्कूली विद्यार्थियों को प्रेरणादायी अनुसंधान के लिए नवीन वैज्ञानिक खोज (इन्स्पायर) पुरस्कार दिये गये। इस योजना के अंतर्गत 16-17 आयु वर्ग के एक लाख से ज्यादा इंटर्न को सहायता दी गई है, जबकि 17-22 आयु वर्ग में 10,000 से ज्यादा छात्रवृत्तियां, 22-27 आयु वर्ग में 1200 डॉक्टरल फेलोशिप और 27-32 आयु वर्ग में 50 फैकल्टी पुरस्कार प्रदान किये। पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में करीब आधी बालिकाएं/युवतियां थीं, जबकि लगभग तीन चौथाई पुरस्कार समाज के कमजोर वर्गों को दिए गए।

8.1.2 नए उत्पाद और सेवाएं

सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए सीएसआईआर-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने 5 सीटों वाले सीएनएम-5 विमान को डिजाइन किया

तथा तैयार किया। यह विमान दो स्ट्रेचर ले जा सकता है। सितंबर, 2011 के पहले हफ्ते में इसकी परीक्षण उड़ान हुई। सीएमएन-5 को नवीनतम वैश्विक मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जबकि इसे बहुत कम आधारभूत सुविधाओं वाली परिस्थितियों में बेहद कम लागत से चलाया जाएगा।

किसानों के लिए 5 दिन के मौसम के पूर्वानुमान और कृषि संबंधी सलाह देने के लिए 560 जिलों में जिला स्तरीय कृषि मौसम विज्ञान परामर्श सेवा शुरू की गई। मोबाइल फोन के जरिए सूचना प्राप्त करने के लिए करीब 30 लाख किसान इस सेवा से जुड़े हैं। मछली पकड़ने के बारे में परामर्श देने की प्रणाली भी स्थापित की गई, ताकि समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरों को मछली की बहुलता वाले स्थानों और स्थानीय मौसम के बारे में जानकारी दी जा सके।

भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को इस तरह सक्षम बनाया गया है कि वह हिन्द महासागर में भूकंप आने के आठ मिनट के भीतर भारत और हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर सके। इसे हिन्द महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता दी गई है।

सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई ने पालीमरों और उनके ब्लेंड का इस्तेमाल कर किफायती दर पर पानी को कीटाणु रहित करने तथा उसके शुद्धिकरण के लिए दोष रहित हाई फ्लक्स हॉलो फाइबर मेंबरेन आधारित तकनीक विकसित की। इस तकनीक को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बाजार में उतारा गया है।

चुनिंदा टापुओं तथा तटीय बिजली घरों में समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बदलने के लिए पूरी तरह से स्वेदेशी और पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित, प्रदर्शित और चालू की गई है । वर्ष 2011 में एक लाख लीटर की क्षमता वाले दो और विलवणीय संयंत्रों को मिनिकोय और अगाती में क्रमशः मार्च 2011 और अगस्त 2011 में स्थापित किया गया।

8.2 अंतरिक्ष कार्यक्रम

वर्ष के दौरान ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के चार सफल प्रक्षेपण किये गये। इन प्रक्षेपणों के दौरान रिसोर्ससेट-2, जीसेट-12, आरआईसेट-1, भारत-फ्रांस उपग्रह मेघा-ट्रोपिक्यूस, भारत-रूस उपग्रह यूथसेट, भारतीय शिक्षण संस्थानों के दो उपग्रह और अंतर्राष्टीय ग्राहकों के लिए दो उपग्रहों सहित अनेक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किये गये। साथ ही विदेशी प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल करते हुए फ्रेंच गुयाना से अत्याधुनिक संचार उपग्रह जीसेट-8 प्रक्षेपित किया गया।

स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के सफल परीक्षण से जियोसिनक्रोनस ट्रांसफर कक्षा में उपग्रहों को पहुंचाने के लिए जियोसिनक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ठोस बूस्टर और तरल कोर स्टेज के सफल स्टैटिक परीक्षणों के साथ बड़े उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए जीएसएलवी मार्क-3 के विकास में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

भारत की राष्ट्रपति ने 2 जनवरी 2012 को श्रीहरिकोटा में नये मिशन नियंत्रण केन्द्र और प्रक्षेपण नियंत्रण केन्द्र का उद्घाटन किया।

जटिल एयरोस्पेस समस्याओं के समाधान के लिए तिरूवनन्तपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र में सतीश धवन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसे भारत का सबसे तेज सुपर कम्प्यूटर माना जा रहा है, जो प्रति सेकेंड 220 ट्रिलियन फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशन की गति से काम कर सकता है।

8.3 सूचना और प्रसारण

8.3.1 केबल टेलीविजन नेटवर्कों में डिजिटल एक्सेस सिस्टम की शुरुआत

केंद्र सरकार ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की शुरुआत कर मौजूदा एनालॉग केबल टेलीविजन नेटवर्क को डिजिटल फार्मेट में बदलने का निर्णय लिया है। चरणबद्ध ढंग से निम्नानुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क को अनिवार्य रूप से डिजिटल बनाने के लिए अपेक्षित कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए केबल टेलिविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 को संशोधित कर केबल टेलिविजन नेटवर्क (नियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 लागू किया गया है:

- प्रथम चरण - चार मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 30 जून, 2012 तक
- द्वितीय चरण - 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को 31 मार्च, 2013 तक
- तृतीय चरण - सभी शहरी क्षेत्रों (नगर निगम/ नगरपालिका) को 30 सितंबर, 2014 तक
- चतुर्थ चरण - शेष भारत को 31 दिसंबर, 2014 तक

प्रसार भारती ने अपने व्यापक नेटवर्क के 2017 तक डिजिटलीकरण के लिए योजना शुरू की है। सरकार इसके लिए प्रसार भारती को 12वीं योजना में धन उपलब्ध कराएगी।

8.3.2 एफएम रेडियो विस्तार (चरण-3)

सरकार ने निजी एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो प्रसारण सेवा के तीसरे चरण के विस्तार के लिए नीति दिशा निर्देश घोषित किये हैं। इससे 294 शहरों में एफएम रेडियो उपलब्ध हो सकेंगे। वर्तमान चैनलों के अलावा 839 नये एफएम रेडियो स्टेशन शुरू किये जाएंगे। विस्तार के अंतर्गत एक लाख से ज्यादा की

आबादी वाले सभी शहरों तक एफएम रेडियो की पहुंच होगी। इससे देश के सुदूरवर्ती इलाकों में भी लोगों तक मनोरंजन और सूचना पहुंच सकेगी, जिससे सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में नये युग का सूत्रपात होगा। नीति के अंतर्गत सरकार ने पहली बार प्राइवेट एफएम ऑपरेटरों को अपने चैनलों के लिए बिना किसी बदलाव के आकाशवाणी की खबरें लेने की इजाजत दी है। इस नीति में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और द्वीप वाले क्षेत्रों में एफएम रेडियो सेवा पहुंचाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया है।

8.3.3 भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना

मीडिया से जुड़ी विभिन्न विधाओं में युवा पेशेवरों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए,

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में भारतीय जनसंचार संस्थान के चार क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का फैसला किया। इन चार में से दो केन्द्रों महाराष्ट्र में अमरावती और मिजोरम में आइजॉल ने तो इस वर्ष से काम करना भी शुरू कर दिया।

8.4 पर्यटन

वर्ष 2011 के दौरान भारत में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए। इनकी संख्या 2010 में 57 लाख 80 हजार से बढ़कर 2011 में 62 लाख 90 हजार हो गई जबकि इसी अवधि में आमदनी भी 1,419 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर से बढ़कर 1,656 करोड़ 40 लाख अमरीकी डॉलर हो गई। पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि सत्कार और सेवा क्षेत्रों में कौशल विकास की अपनी प्रमुख योजना (हुनर से रोजगार) के कार्यान्वयन को जारी रखा। इसका उद्देश्य 8वीं पास युवाओं के लिए रोजगार मिलने लायक कौशल सृजित करना है। मंत्रालय द्वारा किये जा रहे जोरदार प्रयासों के कारण इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत 11,692 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया जो इस वर्ष के लिए तय लक्ष्य से अधिक है।

पर्यटन मंत्रालय ने दिसम्बर 2011 में एक व्यापक सामाजिक जागरूकता अभियान, 'स्वच्छ भारत अभियान' शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य पर्यटकों में स्वच्छता के प्रति विश्वास पैदा करना है। इस कार्य में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रशासनों और निजी भागीदारों का सहयोग लिया जा रहा है।

8.5 खेल : लंदन ओलिम्पिक्स के लिए तैयारी

लंदन ओलिम्पिक्स की तैयारियों के लिए एक मिशन मोड परियोजना शुरू की गई। "लंदन ओलिम्पिक्स, 2012 के लिए ऑपरेशन एक्सीलेंस" के अंतर्गत, 732 संभावित एथलीटों को तैयार करने के लिए ₹ 258.39 करोड़ आवंटित किये गए। लंदन ओलिम्पिक्स के लिए 63 भारतीय खिलाड़ी पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं।

8.6 संस्कृति

8.6.1 रवीन्द्रनाथ टैगोर/स्वामी विवेकानन्द की 150 वीं जयंती पर उनका स्मृति उत्सव

रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर चल रहे समारोहों के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय ने बड़ी

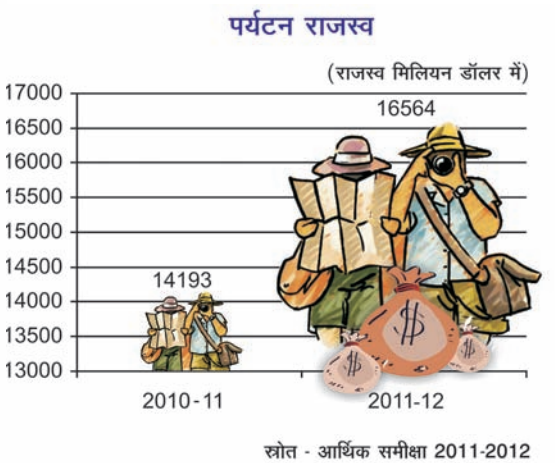

स्रोत - आर्थिक समीक्षा 2011-2012

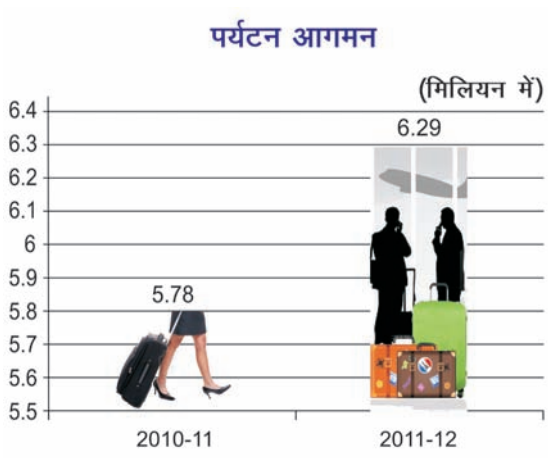

संख्या में कार्यक्रम आयोजित किये। "सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए टैगोर पुरस्कार" शुरू किया गया। भारत- बंगलादेश के संयुक्त समारोहों के अंतर्गत दोनों देशों की सांस्कृतिक मंडलियों ने दोनों देशों के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। समारोहों में समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और टैगोर के ज्ञान को ग्रहण किया। अनेक देशों में टैगोर की मौलिक पेंटिग्स की प्रदर्शनियां लगाई गई। विश्व भारती के संग्रह में से चुनी हुई 208 पेंटिंग्स सितम्बर 2011 से अब तक तीन सर्किटों में विदेशों में नौ स्थानों में लगाई गई। इस प्रदर्शनी में टैगोर की पेंटिंग्स के अलावा, फोटोग्राफ के जरिये गुरूदेव टैगोर के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को विशेष रूप से दर्शाया गया है। उन पर बनी फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है।

स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयंती के अवसर पर रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ स्वामी विवेकानन्द की विरासत और दर्शन के प्रसार के लिए "विवेकानन्द के आदर्शों पर शिक्षा कार्यक्रम" अमल में ला रहा है। इसके लिए रामकृष्ण मिशन को ₹ 100 करोड़ दिये जाएंगे।

8.6.2 पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन

पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन नाम से एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया।

8.6.3 सांस्कृतिक धरोहर युवा नेतृत्व कार्यक्रम

नवम्बर 2011 में सांस्कृतिक धरोहर युवा नेतृत्व कार्यक्रम से जुड़ी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं में संस्कृति के प्रति जानकारी को बढ़ाना है ताकि युवाओं में नेतृत्व का गुण पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता; आपसी समझ और सम्मान तथा भारत की समृद्ध धरोहर के प्रति प्रेम भी बढ़ाया जा सके।

8.6.4 भारत का 4 वर्ष (2012-2015) के लिए विश्व धरोहर समिति के लिए चुना जाना

नवम्बर 2011 में भारत को यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति के सदस्य रूप में 4 वर्ष (2012-15) के लिए चुना गया।

8.7 युवाओं का विकास

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को विश्व स्तर के अनुसंधान, प्रलेखन और संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित करने और युवाओं के लिए नीति बनाने में सहायता के लिए, संसद में एक विधेयक पेश किया गया ताकि इस पहल को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में बदला जा सके।

पूर्वोत्तर में युवा रोजगार क्षमता कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित 200 युवा स्वयंसेवियों के पहले जत्थे में से 164 युवाओं को रोजगार मिल गया है। परियोजना के अंतर्गत अन्य 1,069 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के 30,000 स्वयंसेवियों के लिए अतिरिक्त घटक के रूप में इस वर्ष से कौशल अर्जन को भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

8.8 भारतीय डाक के बढ़ते कदम

सभी 1.55 लाख डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग के लिए महत्वाकांक्षी सूचना प्रोद्योगिकी

आधुनिकीकरण परियोजना तेज गति से आगे बढ़ रही है। साथ ही डाक, बैंकिंग, डाक जीवन बीमा, वित्तीय सेवाओं और मानव संसाधन गतिविधियों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का काम आगे बढ़ रहा है। डाक छंटाई के काम में तेजी लाने के लिए महानगरों में स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किये गए हैं। 2011-12 के दौरान में ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के 30 लाख से ज्यादा निवासियों को ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत लाया गया ।

8.9 आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भारत के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) जारी करने का कार्य सौंपा गया है। इस प्राधिकरण ने मार्च 2012 तक विभिन्न पंजीयकों के जरिए 20 करोड़ निवासियों के नाम दर्ज किए हैं। भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण अगले 18 से 24 महीनों में अतिरिक्त 40 करोड़ से अधिक निवासियों के नाम दर्ज करेगा

आपदा प्रबंधन

"भारत को आपदा प्रबंधन और समुद्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में हासिल अपनी महारत अन्य के साथ बांटने में बेहद खुशी होगी। विशेष रूप से हम भूकंप आने की स्थिति में आपदा प्रबंधन और राहत पर पूर्वी एशिया कार्यशाला की मेज़बानी करना चाहेंगे। हम समुद्री डकैती से निपटने के लिए पहले ही अनेक देशों के साथ मिल कर काम कर रहे हैं"

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

9 आपदा प्रबंधन

9.1 आपदा विशिष्ट दिशानिर्देश और आपदा संबंधी चिंताओं को मुख्यधारा से जोड़ना

आपदा संबंधी चिंताओं और प्रयासों को रेखांकित करने के लिए *'भारत में आपदा प्रबंधन'* पर व्यापक पुस्तक तैयार की गई है जिसे सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अब तक 17 दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें *राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली* पर हाल ही में जारी किया गया दिशानिर्देश शामिल है। ये दिशानिर्देश परिचालन स्तर पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं।

9.2 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल

आपदा की स्थिति में तेजी से कार्रवाई करने वाली प्रणाली विकसित की गई है जिसमें तुरंत चेतावनी देने वाली और संचार प्रणाली शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल में भी बटालियनों की संख्या बढ़ाकर उन्हें 10 कर दिया गया है।

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान 2011-12 में आवश्यक उपकरणों सहित राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के 8,201 जवान तैनात किए गए तथा करीब 19,442 लोग बचाए गए। जापान में सुनामी की आपदा के बाद राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की एक टुकड़ी वहां भी तैनात की गई।

9.3 बाढ़ राहत

आपदा राहत के लिए सशक्त वित्तीय प्रणाली भी विकसित की गई है। वर्ष के दौरान राज्य आपदा अनुक्रिया कोष से केंद्र सरकार के हिस्से वाली ₹ 4,279 करोड़ की राशि राज्यों को जारी की गई। इसके अलावा, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य के लिए 'राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष' से विभिन्न राज्यों को ₹ 2,458 करोड़ की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई।

9.4 प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत

9.4.1 सिक्किम भूकंप

सिक्किम में 18 सितंबर, 2011 को भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.8 मापी गई। इस भूकंप से वहां भयानक तबाही हुई। भूकंप का असर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम पर भी पड़ा। भारत सरकार ने राहत सामग्री के रूप में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई। राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना, वायु सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय आपदा

अनुक्रिया बल को तैनात किया गया। सड़क, दूरसंचार और बिजली की लाइनों को तत्काल दुरूस्त किया गया। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से ₹ 227 करोड़ स्वीकृत किए गए।

9.4.2 'थेन' चक्रवात

दिसंबर, 2011 में तटीय क्षेत्रों में आए चक्रवाती तूफान 'थेन' का तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी पर भारी असर पड़ा। तत्काल राहत और बचाव कार्य चलाने के लिए तमिलनाडु को ₹ 500 करोड़ और पुद्दुचेरी को ₹ 125 करोड़ की अग्रिम सहायता जारी की गई। तमिलनाडु के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से ₹ 638 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई।

9.4.3 ओड़िशा में बाढ़

सितंबर, 2011 में ओड़िशा में एक के बाद एक गंभीर बाढ़ आई। राहत और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की तत्काल तैनाती की गई तथा वायुसेना की सहायता भी दी गई। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से ₹ 900 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई।

विशिष्ट विकास जरूरतों पर ध्यान

"मैं एक और बात के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों को बधाई देती हूं, क्योंकि आपने सारी दिक्कतों और बाधाओं के बावजूद बड़ी तादाद में, पंचायत चुनाव में दिलचस्पी दिखाई है। पंचायतें हमारी जम्हूरियत की बुनियाद हैं और जिस तरह जम्मू-कश्मीर के भाई-बहन, खुलकर अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने के लिए, सामने आ रहे हैं, वह ऐसे लोगों के लिए एक पैगाम है, जो हिंसा और आतंकवाद के अपने कारनामों से हमें कमज़ोर करना चाहते हैं।"

श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, यूपीए

10 विशिष्ट विकास जरूरतों पर ध्यान

10.1 पूर्वोत्तर

10.1.1 ढांचागत विकास

वर्ष के दौरान ₹ 1,089.22 करोड़ की अनुमानित लागत से बुनियादी ढांचे की 106 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, तथा नॉन-लैप्सेबल पूल ऑफ रिसोर्सेस स्कीम (एनएलसीपीआर) के तहत ₹ 798.99 करोड़ जारी किए गए।

2011-12 में बिना बिजली वाले 11,250 गांवों में बिजली उपलब्ध कराने के साथ-साथ 16,336 गांवों में गहन विद्युतिकरण का कार्य पूरा कर लिया गया। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 10.54 लाख ग्रामीण घरों में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

नॉन-लैप्सेबल पूल्स में उपलब्ध कोष का कारगर और श्रेष्ठ इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए एनएलसीपीआर - केंद्रीय योजना शुरू करने का फैसला किया गया है। इससे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में ढांचागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली किसी भी कमी को दूर करने के लिए धनराशि जुटाने में मदद मिलेगी। इस योजना के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय महत्व की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना कार्यान्वयन में केंद्रीय मंत्रालयों के भी शामिल होने से न सिर्फ विकास की गति तेज होगी, बल्कि इससे इन मंत्रालयों में उपलब्ध तकनीकी जानकारी और क्षेत्रीय विशेषज्ञता का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

10.1.2 शांति व्यवस्था

अनेक पूर्वोत्तर राज्यों में 2011 में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ और पिछले वर्ष की तुलना में हिंसा की घटनाओं, आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु के मामले में संख्या के लिहाज से कमी देखी गई। इस वर्ष असम में कार्बी के यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सोलीडेरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके बाद इस संगठन ने स्वयं को भंग कर दिया। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के सभी धड़ों के साथ भी युद्ध विराम सहित नागा शांति वार्ता जारी रही।

10.2 जम्मू और कश्मीर

10.2.1 विस्थापितों और उग्रवाद प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास

कश्मीरी विस्थापितों की वापसी और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री ने ₹ 1,618 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज का कार्यान्वयन इस वर्ष भी जारी रहा। विस्थापितों के लिए 495 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में 335 इकाईयों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कश्मीरी विस्थापित युवाओं के लिए 3,000 पूरक पदों की तुलना में 2,169 उम्मीदवारों की

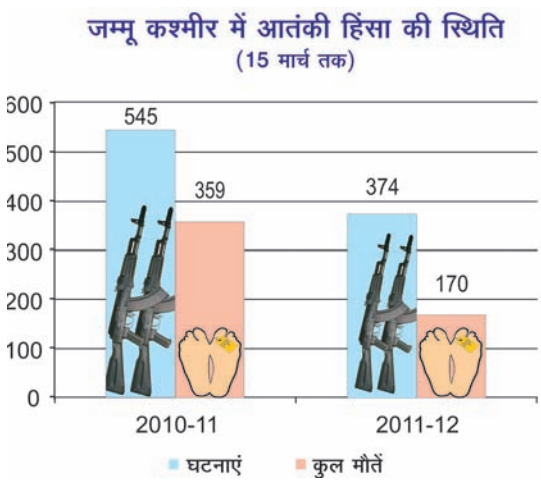

नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं जिनमें से 1,441 उम्मीदवारों ने नौकरी शुरू भी कर दी है।

कश्मीरी विस्थापितों के लिए ₹ 385 करोड़ की लागत से जम्मू में दो कमरों वाले 5,242 मकानों का निर्माण कार्य जारी है। इन सभी फ्लैटों का निर्माण कार्य इस महीने के दौरान पूरा होने की संभावना है।

10.2.2 जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यबल

जम्मू क्षेत्र के लिए विशेष कार्यबल ने लगभग ₹ 500 करोड़ की लागत की लघु अवधि परियोजनाओं की सिफारिश की है। इसी प्रकार लद्दाख क्षेत्र के लिए ₹ 415 करोड़ की लागत की लघु अवधि परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। 2011-12 के आम बजट में जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों की ढांचागत जरूरतों के लिए क्रमशः ₹ 150 करोड़ और ₹ 100 करोड़ की विशेष योजना सहायता का प्रस्ताव किया गया।

10.2.3 झील संरक्षण

सरकार ने श्रीनगर में डल और नागीन झीलों में और इनके आस-पास रहने वाले करीब 10,000 परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए ₹ 356 करोड़ की योजना मंजूर की है। मनसेर झील और त्सोमोरिरी झील के संरक्षण की परियोजना इस वर्ष पूरी होने की संभावना है।

10.2.4 कौशल विकास और रोजगार

जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए 'हिमायत' नामक कौशल उन्नयन और रोजगार योजना तथा 'उड़ान' नामक विशेष औद्योगिक पहल सहित विभिन्न प्रयास शुरू किए गए हैं। 'हिमायत' योजना के तहत अगले पाँच वर्षों में ₹ 235 करोड़ की लागत से एक लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। 'उड़ान' का उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में ₹ 1,000 करोड़ के बजट से 40,000 युवाओं का कौशल विकास करना है। रोज़गार के विभिन्न क्षेत्रों में 1,000 से अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।

10.2.5 बिजली

चिनाब थाले में पाकल दुल में (1,000 मेगावाट), क्वार में (520 मेगावाट) तथा किरू में (600 मेगावाट) बिजली उत्पादन के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत बिजली निगम लिमिटेड, जम्मू-कश्मीर राज्य बिजली विकास निगम और बिजली व्यापार निगम तथा एक संयुक्त उपक्रम कंपनी के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 13 जून, 2011 को मैसर्स चिनाब घाटी पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी पंजीकृत की गई। पाकल दुल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 'टर्नकी' आधार पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

जम्मू-कश्मीर में 31 मार्च 2012 तक बिना बिजली वाले 105 गांवों और आंशिक रूप से विद्युतिकृत 1,777 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 30,353 परिवारों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।

10.2.6 शांति स्थापना

जम्मू-कश्मीर में 2011 के दौरान आतंकवादी हिंसा में स्पष्ट रूप से कमी आई तथा कश्मीर घाटी तुलनात्मक रूप से कानून और व्यवस्था की समस्या तथा असैन्य गड़बड़ी से मुक्त रही। लंबे अंतराल के बाद जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए जिसमें भारी उत्साह के बीच 80 प्रतिशत से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटकों, अमरनाथ यात्रियों और वैष्णो देवी यात्रियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई।

सुरक्षा

"हमारे देश को बार-बार आतंकवाद का सामना करना पड़ा है। आतंकवादी दिग्भ्रमित विचारधारा के आधार पर ऐसी हिंसा को उचित ठहराते हैं। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली से जुड़ी संस्थाएं और व्यवस्थाएं हिंसा का सहारा लिए बिना विभिन्न प्रकार के विचार प्रकट करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराती हैं। कोई भी सभ्य समाज किसी विचारधारा के कारण निर्दोष लोगों की हत्या को न तो बर्दाश्त कर सकता है और न ही सही ठहरा सकता है।"

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

11 सुरक्षा

11.1 आंतरिक सुरक्षा

देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार साफ दिखाई दे रहा है। सरकार ने "गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन" की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं।

11.1.1 वामपंथी उग्रवाद

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार ने सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकार सुनिश्चित करना, सुशासन और जनभावना जैसे क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों को राज्य सरकारें देखती हैं। केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन प्रयासों को संबल प्रदान करती हैं।

चुनिंदा आदिवासी और पिछड़े जिलों, जिनमें से ज्यादातर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं, उनमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समेकित कार्य योजना का कार्यान्वयन जारी है। शुरू में देश के 60 जिलों में लागू की गई यह योजना अब 78 जिलों में चलाई जा रही है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए सरकार ने दस नई विशिष्ट भारत रिज़र्व बटालियनें बनाने तथा पहले मंजूर की गई तीन भारत रिज़र्व बटालियनों को विशिष्ट भारत रिज़र्व बटालियनों में बदलने की मंजूरी दी है। इन बटालियनों में सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ इंजीनियरी कार्य करने संबंधी क्षमता भी है ताकि विकास-कार्यों के मार्ग में आने वाली

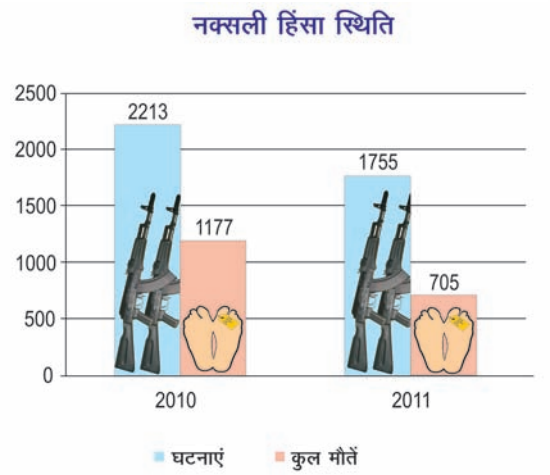

किसी भी रुकावट को दूर किया जा सके।

11.1.2 राष्ट्रीय जांच एजेंसी का विस्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी को और मजबूत बनाया गया है। गुवाहाटी और कोच्चि में इसके नए शाखा कार्यालय खोले गए हैं। मुंबई और लखनऊ में भी शाखा कार्यालय शीघ्र खुलने की संभावना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए 265 नए पदों को मंजूरी दी गई है। एजेंसी को जांच के लिए सौंपे गए 34 मामलों में से 20 में आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं तथा दो मामलों में सज़ा भी हो गई है। इसके अतिरिक्त, आतंकवादियों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने वाले 18 बैंक खातों पर रोक लगाने में भी एजेंसी को सफलता मिली हैं।

11.1.3 आतंकवाद से संघर्ष

दिल्ली में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के मुख्यालय की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। आतंकवाद तथा आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पुख्ता खुफिया जानकारी जुटाने हेतु देश में एकत्र हुए विभिन्न डाटा बेस को शीघ्र ही राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड से जोड़ा जाएगा।

11.1.4 अपराध और अपराधी निगरानी नेटवर्क तथा प्रणालियां

'अपराध और अपराधी निगरानी नेटवर्क और प्रणालियां' नामक परियोजना के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ₹ 418 करोड़ से अधिक राशि

जारी की गई है। यह परियोजना सभी स्तरों पर, और खासतौर से पुलिस-थाना स्तर पर, दक्ष और कारगर निगरानी बढ़ाने के लिए एक व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली के रूप में लागू की जा रही है।

11.1.5 राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत विभिन्न राज्यों को 2011-12 में ₹ 800 करोड़ की राशि जारी की गई। यह योजना राज्यों की पुलिस की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

11.1.6 तटीय सुरक्षा

तटीय सुरक्षा के पुनः आकलन के बाद तटीय सुरक्षा योजना का दूसरा चरण ₹ 1,579 करोड़ के प्रावधान के साथ शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए 131 नए तटीय पुलिस थाने, 60 जेटियां, 180 गश्ती नौकाएं तथा दस बड़े जहाज उपलब्ध कराना तथा तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पुलिस संबंधी अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

11.2 सीमा सुरक्षा

11.2.1 सीमा पर बुनियादी ढांचा

सरकार ने 2011-12 के दौरान भी सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के प्रयास जारी रखे। इस दौरान भारत-बंग्लादेश सीमा पर 2,760 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाई गई, 3,605 किलोमीटर लंबी सीमा-सड़कें बनाई गईं और 1,292 किलोमीटर लंबाई पर फ्लडलाईट लगाई गईं। वर्ष के दौरान भारत-बंग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमा पर 31 अतिरिक्त चौकियां बनाई गईं जिससे सीमा चौकियों की संख्या बढ़कर 1,442 हो गई।

11.2.2 सीमा क्षेत्र विकास

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 2011-12 के दौरान सीमावर्ती राज्यों को ₹ 1,003 करोड़ की राशि जारी की गई।

11.2.3 सीमा पार सेवाएं

सीमा के आर-पार लोगों और सामान की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुछ चिन्हित प्रवेश द्वारों पर 13 समेकित

जांच चौकियां बनाई जा रही हैं जिन पर ₹ 635 करोड़ की लागत आएगी। भारत-पाकिस्तान सीमा पर पंजाब में अटारी में समेकित जांच चौकी का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि भारत-नेपाल सीमा पर बिहार स्थित रक्सौल और जोगबनी में समेकित सीमा चौकियों का निर्माण कार्य जारी है।

11.3 रक्षा

यूपीए सरकार ने सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए रक्षा तैयारियां बढ़ाने और सैन्य-क्षमताओं को उन्नत बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। 2011-12 के दौरान सेना में परिवहन विमान, मध्यम क्षमता वाले लिफ्ट हेलीकॉप्टर, इंटरसेप्टर नौकाएं और फ्लीट टैंकरों सहित अनेक महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण और प्रणालियां शामिल की गईं। आयुध कारखानों और रक्षा से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उत्पादन बढ़ाने तथा अनुसंधान और विकास कार्य में ज्यादा निवेश करने का कार्य जारी रखा।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने देश में ही विकसित 5,000 किलोमीटर तक मार करने तथा विभिन्न प्रकार के पेलोड ढोने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-5' का सफल प्रक्षेपण किया जिससे भारत इस तरह की क्षमता वाले दुनिया के चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। 2011-12 के दौरान 'अग्नि-4' मिसाइल, जमीन से जमीन पर मार करने वाली टैक्टिकल बैटलफील्ड मिसाइल 'पृथ्वी-2' का सफल प्रक्षेपण तथा हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' को भारतीय वायुसेना में शामिल करना महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं। देश में ही विकसित भारतीय एयरबोर्न चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली के लिए पूरी तरह परिवर्तित पहले विमान ने दिसंबर 2011 में उड़ान भरी। परमाणु शक्ति से चलने वाली प्रहारक पनडुब्बी 'आईएनएस चक्र' को 4 अप्रैल, 2012 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

प्रशासन और नागरिक समाज

"तीव्र प्रगति और विकास के लिए हमारे प्रयास सिर्फ तभी पूरे कारगर हो सकते हैं जब हम सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर लगाम कसें और प्रशासन की प्रक्रियाओं में सुधार करें। मुझे भरोसा है कि इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने का यह उचित समय है। हमारी सरकार जन अधिकारियों के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम प्रशासन में भ्रष्टाचार समाप्त करने और अपने नागरिकों को सुशासन प्रदान करने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

12 प्रशासन और नागरिक समाज

12.1 भ्रष्टाचार निरोधी उपाय

भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों पर विचार करने के लिए जनवरी 2011 में गठित मंत्री समूह ने दो रिपोर्टें सौंप दी हैं। सरकार ने मामूली संशोधनों के साथ मंत्री समूह की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। इनके अनुपालन में सरकार ने निर्देश दिया है कि अभियोग चलाने की मंजूरी के आग्रह पर तीन महीने की अवधि के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा फैसला किया जाए। सरकार का फैसला है कि संयुक्त सचिव के पद से ऊपर के केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों पर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम की धारा 6 ए के तहत जांच/तहकीकात शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार का प्रभारी मंत्री होगा। सरकार ने मंत्री समूह की यह सिफारिश भी मान ली है कि मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग के लिए नियामक दिशानिर्देश तय किए जाएं और उन्हें सार्वजनिक भी किया जाए।

व्यापक 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011' को वर्ष के दौरान लोकसभा ने पारित कर दिया।

भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 'व्हिसिल ब्लोअर्स सुरक्षा विधेयक, 2011' लोकसभा में पारित हुआ। यह विधेयक फिलहाल राज्यसभा में है।

भारत ने मई 2011 में भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संधि की भी पुष्टि की। भारत के लिए यह संधि 8 जून, 2011 को लागू हो गई। इस संधि का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करने के मद्देनजर 'विदेश सार्वजनिक अधिकारियों और सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों को रिश्वत-निवारण विधेयक, 2011' लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक के बारे में संसदीय स्थाई समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

12.2 सुधार

12.2.1 ई-प्रशासन

सरकार ने सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए "आम आदमी को उसके स्थानीय क्षेत्र में सभी सरकारी सेवाएं सुलभ कराने तथा आम आदमी की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए उचित लागत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने" के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना को मंजूरी दी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1,00,000 से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है। देश के 24 राज्यों में 22 भारतीय भाषाओं के कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर टूल्स और फोन्ट उपलब्ध कराए गए हैं। ई-जिला परियोजना के तहत सात राज्यों के 88 जिलों में नागरिक केंद्रित ई-प्रशासन सेवाओं की ऐसी प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है जिसके तहत भारी मात्रा में सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

कंपनी शुरू करते समय उसके पंजीकरण की प्रक्रिया में भारी सुगमता लाने के लिए एमसीए-21 ई-प्रशासन परियोजना ने और प्रगति की। इस परियोजना से काग़ज़ी प्रक्रिया को काफी सरल और कम कर दिया गया है क्योंकि अब डायरेक्टर पहचान संख्या (यानी डीआईएन) ऑनलाइन हासिल की जा सकती है तथा इसे आयकर पैन नंबर से जोड़ दिया गया है। वर्ष के दौरान रिकॉर्ड 15 लाख वार्षिक रिपोर्टें दाखिल की गईं तथा एक दिन तो 70,000 रिपोर्टें एक ही दिन दर्ज की गईं।

नियमों में संशोधन किए गए हैं, ताकि भुगतान सीधे संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में किया जा सके। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 'सरकारी ई-भुगतान गेटवे' के जरिए सुरक्षित इलेक्ट्रोनिक भुगतान प्रणाली चालू की गई है। इस उपाय से, सरकारी

कार्यालयों से भुगतान लेने वाले व्यक्तियों के लिए भुगतान प्रक्रिया आसान बनाई जा सकेगी तथा उसे पर्यावरण अनुकूल भी बनाया जा सकेगा।

12.2.2 सार्वजनिक खरीद कानून

वर्ष 2011 में स्वाधीनता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद सार्वजनिक खरीद विधेयक, 2012 का मसौदा तैयार किया गया जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में निविदादाताओं के लिए बोली प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायोचित बनाने तथा खरीद प्रक्रिया में प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता और मितव्ययिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले निकायों की सार्वजनिक खरीद को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है। इस विधेयक से सार्वजनिक खरीद के लिए वैधानिक ढांचे का निर्माण होगा जिससे नियामक ढांचे की जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रवर्तनीयता बढ़ेगी।

12.2.3 प्रशासनिक सुधार

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में ई-कार्यालय योजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए ई-कार्यालय प्रक्रिया संबंधी केंद्रीय सचिवालय पुस्तिका तैयार की गई है। पेंशनधारकों की शिकायतों को सुगमता से निपटाने के लिए पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने एक नई प्रणाली विकसित की है।

12.2.4 सेवा-प्राप्ति का अधिकार

'सामान एवं सेवाओं को समयबद्ध ढंग से हासिल करने और शिकायतों के निपटारे के लिए नागरिकों का अधिकार विधेयक' 20 दिसंबर, 2011 को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति को भेज दिया गया है। यह विधेयक नागरिक अधिकार-पत्र को कानूनी स्वरूप प्रदान करने तथा जनता को सामान और सेवाएं हासिल करने का अधिकार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

12.2.5 सकारात्मक कार्रवाई

सरकार ने धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अल्पसंख्यकों (जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 (ग) के तहत परिभाषित किया गया है) को अन्य पिछड़े वर्गो (ओ.बी.सी.) के 27 प्रतिशत कोटे के भीतर 4.5 प्रतिशत का कोटा देने का फैसला किया है।

12.2.6 न्यायिक सुधार

न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया है। संरचनात्मक बदलावों और निष्पादन मानकों एवं क्षमताओं की स्थापना के जरिए लंबे समय से चल रहे और लंबित मुकदमों की संख्या कम करने, जवाबदेही बढ़ाने के जरिए न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए न्याय विभाग में राष्ट्रीय न्याय डिलीवरी और विधिक सुधार मिशन शुरू किया गया है। याचिका दाखिल करने, अदालतों को मुकदमों के आवंटन, मुकदमों की सूची, सुनवाई की तिथि और मुकदमे की स्थिति की जानकारी जिला और अधीनस्थ अदालतों द्वारा स्थापित न्यायिक सेवा केंद्रों से हासिल की जा सकती है।

निचली अदालतों के ढांचागत विकास के लिए 2011-12 के दौरान राज्यों को ₹ 595 करोड़ जारी किए गए। इस उद्देश्य के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का प्रारूप 50:50 से संशोधित करके 75:25 कर दिया गया है, ताकि यह योजना राज्यों के लिए ज्यादा आकर्षक हो। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों को विशेष अदालतों, लोक अदालतों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 2010-11 तथा 2011-12 में ₹ 1,353 करोड़ जारी किए गए हैं।

प्रगाढ़ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

"इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि एशिया के विकास परिदृश्य में दक्षिण एशिया का महत्व बढ़ता जा रहा है। तमाम मुश्किलों के बावजूद हम पिछले कुछ वर्षों से सम्मानजनक वृद्धि दर हासिल करने में सफल रहे हैं। यह सब सार्क के एकीकरण के पथ पर आगे बढ़ने के साथ-साथ संभव हुआ है। यह दर्शाता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं।"

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

13 प्रगाढ़ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

13.1 विदेशी मामले

यूपीए सरकार ने अपनी विदेश नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ रिश्तों को इस तरह बढ़ाने के प्रयास जारी रखे ताकि भारत में तीव्र, समावेशी और टिकाऊ सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। सरकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, व्यापक जनसंहार के हथियारों के फैलाव और समुद्री डकैती जैसे बढ़ते सामुद्रिक खतरों से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति देश के हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह चौकस रही है। सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक प्रशासन की संस्थाओं के सुधार जैसे उभरते अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार जोर-शोर से सामने रखे। इन सभी विषयों पर भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ध्यान से सुना गया।

13.2 पड़ोसी देश

भारत ने अपने करीबी पड़ोसी देशों के साथ और निकट सहयोग की नीति पर अमल करना जारी रखा। यह नीति इस बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है कि स्थाई, समृद्ध, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण पड़ोस इस क्षेत्र के सभी देशों के हित में है। 2011-12 के दौरान पड़ोसी देशों के साथ उच्च स्तर पर अनेक द्विपक्षीय आदान-प्रदान हुए जिनमें प्रधानमंत्री की बंग्लादेश और मालदीव की यात्रा, म्यांमा के राष्ट्रपति तथा भूटान नरेश की भारत की राजकीय यात्रा तथा नेपाल के प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा शामिल हैं।

भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) में भी अग्रणी भूमिका निभाई। यह संस्था क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, व्यापार, ढांचागत विकास तथा जनता से जनता के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए कारगर मंच साबित हो सकती है। क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने तथा उसे और मज़बूती प्रदान करने की सरकार की नीति के ही अनुरूप भारत ने सहयोग बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए । इस संदर्भ में नवंबर 2011 में मालदीव में आयोजित 17वें सार्क शिखर सम्मेलन में भारत ने सार्क के सबसे कम विकसित देशों द्वारा भारत को निर्यात की जाने वाली संवेदी वस्तुओं की सूची को लगभग पूरी तरह समाप्त कर देने के उपायों की घोषणा की ।

2011-12 में भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक भागीदारी को भी औपचारिक रूप दिया गया। मई, 2011 में प्रधानमंत्री की अफगानिस्तान यात्रा के दौरान अफगानिस्तान में भारतीय सहायता कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। प्रधानमंत्री ने अफगान संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया तथा अफगानिस्तान को दी जाने वाली भारतीय सहायता में 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की वृद्धि की घोषणा की। इस प्रकार अफगानिस्तान को दी जाने वाली कुल भारतीय सहायता अब बढ़ कर 2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है।

सितंबर 2011 में प्रधानमंत्री की बंग्लादेश यात्रा से भारत और बंग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इस यात्रा के दौरान दो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से एक 'विकास के लिए सहयोग का समझौता प्रारूप' शामिल है, जिसमें आपसी शांति, समृद्धि और स्थिरता हासिल करने के लिए टिकाऊ और दीर्घकालिक सहयोग के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। दूसरा समझौता भारत और बंग्लादेश के बीच सीमा को चिन्हित करने संबंधी 1974 के समझौते से जुड़ा है,

जिससे दोनों देशों के बीच जमीनी सीमा के बकाया मसलों के समाधान का रास्ता साफ हो गया है।

नवंबर 2011 में प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान किये गये समझौतों की मुख्य विशेषता विकास लिए सहयोग संबंधी प्रारूप समझौता रहा। मालदीव के राजनीतिक हालात पर भी भारत लगातार नज़र रखे रहा और भारत का मानना है कि इन हालात से उभरने वाले मुद्दों का समाधान वहीं के लोगों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के शान्तिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से निकालना होगा।

भारत ने नेपाल में सामाजिक आर्थिक विकास के अपने प्रयासों को समर्थन देना जारी रखा। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं की परंपरा के अनुरूप नेपाल के प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबू राम भट्टाराई ने अक्तूबर, 2011 के दौरान भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान निवेश के संवर्धन और संरक्षण तथा 25 करोड़ अमरीकी डॉलर के ऋण के बारे में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

भूटान के साथ भारत के ख़ास संबंध और मजबूत हुए तथा भूटान में पनबिजली के विकास में संयुक्त प्रयासों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया।

भारत, पाकिस्तान के साथ शांति और सहयोग पर आधारित संबंध बनाना चाहता है तथा आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में संवाद के जरिए सभी बकाया मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी के साथ अप्रैल, 2012 को उनकी निजी भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने सार्क और परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सैय्यद यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ भी वार्ता की। दोनों देशों के बीच फिर से शुरू हुए संवाद का पहला दौर जुलाई 2011 में पूरा हो गया तथा दूसरा दौर शुरू हुआ। संवाद प्रक्रिया फिर से शुरू होने के फलस्वरूप कुछ ठोस और सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, खासतौर से आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में।

भारत ने आर्थिक और विकास सहयोग संबंधी व्यापक मुद्दों पर श्रीलंका के साथ घनिष्ठ संबंध जारी रखे। भारत अब दक्षिण एशिया में श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले वर्ष भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पर्यटकों के मामले में श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा स्रोत देश बनकर उभरा। भारत ने विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए सहायता देना भी जारी रखा। भारत, श्रीलंका में राजनीतिक सहमति लाने के लिए वहां सुलह-सफाई की ईमानदारीपूर्ण प्रक्रिया को प्रोत्साहन देता है, ताकि श्रीलंका के सभी नागरिकों को किसी भी तरह के नस्ली भेदभाव के बिना न्याय, प्रतिष्ठा, समानता और आत्मसम्मान हासिल हो सके।

भारत-म्यांमा संबंध पिछले वर्ष और मजबूत हुए। अक्तूबर, 2011 में म्यांमा के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर आए। 2011-12 के दौरान शुरू किए गए नये प्रयासों और परियोजनाओं में विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के लिए म्यामां सरकार को 50 करोड़ अमरीकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। इस वर्ष प्रधानमंत्री की संभावित म्यांमा यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है।

पिछला वर्ष भारत चीन आदान-प्रदान के वर्ष के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और चीन के राष्ट्रपति हू जिन्ताओ ने भारत में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान "मित्रता और सहयोग का वर्ष 2012" का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। दोनों

देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 70 अरब अमरीकी डॉलर को पार कर गया है। भारत और चीन ने समुद्री सुरक्षा के बारे में सहयोग तथा क्षेत्रीय मसलों पर विचार-विमर्श के लिए नई पहल की भी घोषणा की है। नवगठित 'भारत-चीन सीमा मसलों पर समन्वय और परामर्श हेतु कार्यकारी तंत्र' ने भी विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

13.3 पूर्वोन्मुख नीति

आसियान देशों के साथ 2011-12 के दौरान भारत के रिश्ते और प्रगाढ़ हुए तथा वर्ष के दौरान समय-समय पर उच्च स्तरीय आदान-प्रदान हुआ। आसियान देशों के चार राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने 2011 में भारत की यात्रा की। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की राजधानी बाली में नवंबर, 2011 में नौवें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन; तथा छठे पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उनकी सिंगापुर यात्रा भी सफल रही। थाइलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री यिंगलुक शिनावात्रा की जनवरी 2012 में भारत की राजकीय यात्रा से उच्च स्तरीय आदान-प्रदान में वृद्धि जारी रही। सुश्री शिनावात्रा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि थीं। आसियान के सभी 10 सदस्य देशों में आसियान-भारत माल व्यापार समझौते के लागू होने से अगस्त 2011 में आसियान देशों के साथ भारत के आर्थिक और वाणिज्यिक रिश्ते और सुदृढ़ हुए। आसियान-भारत के बीच कुल व्यापार 2010-11 में 57.89 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा रहा।

जापान के साथ व्यापक आर्थिक साझीदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी हो गया। भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2011 का आयोजन

सियोल में बच्चों के साथ प्रधानमंत्री

नई दिल्ली में दिसंबर में किया गया। कोरिया गणतंत्र के साथ द्विपक्षिय संबंधों को नई गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति ने जुलाई 2011 में और प्रधानमंत्री ने मार्च 2012 में सियोल की यात्रा की।

13.4 यूरेशिया

भारत की रूस के साथ "ख़ास और अति घनिष्ठ" रणनीतिक भागीदारी वर्ष 2011-12 के दौरान भी जारी रही। रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, सूचना प्रौद्योगिकी, औषध, अंतरिक्ष, शिक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हमारे गहरे और ऐतिहासिक संबंधों की बहुआयामी और सक्रिय प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं

मध्य एशिया भारत की प्राथमिकताओं में प्रमुखता से बना रहा। कज़ाखस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाकर हमने अब उन्हें "सामरिक भागीदारी" के स्तर तक पहुंचा दिया है। इन देशों के साथ असैन्य परमाणु भागीदारी और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

13.5 अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.) के साथ भारत ने सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर राजनीतिक और रणनीतिक विचार-विमर्श बढ़ाने, रक्षा और आतंकवाद के विरोध में सहयोग बढ़ाने तथा व्यापार एवं निवेश, उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, अंतरिक्ष, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार के जरिए रणनीतिक भागीदारी मजबूत की। संयुक्त राज्य अमरीका के साथ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार 2011 में 100 अरब डॉलर को पार कर गया और व्यापार-संतुलन भारत के पक्ष में रहा।

13.6 खाड़ी और पश्चिम एशिया

भारत ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम की निगरानी जारी रखी। यह क्षेत्र हमारी विदेश नीति में बहुत महत्व रखता है क्योंकि वह न केवल हमारा प्रमुख कारोबारी भागीदार और ऊर्जा का मुख्य आपूर्तिकर्ता है, बल्कि वहां 60 लाख से अधिक भारतीय भी रहते हैं। इराक के साथ राजनयिक संबंधों का स्तर बढ़ाया तथा भारत के नए राजदूत ने वहां जून, 2011 में पदभार संभाला। ओमान के बीना में मई 2011 में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड का चालू होना दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश रिश्तों की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।

13.7 अफ्रीका

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने मई 2011 में अदिस अबाबा में हुए दूसरे अफ्रीका भारत मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया तथा अफ्रीका के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए कई नई पहल की घोषणा की। इनमें दो अरब डॉलर का नया ऋण, अगले तीन वर्षों के दौरान अफ्रीका के लिए 22,000 से अधिक छात्रवृत्तियां तथा अफ्रीका में 80 से अधिक क्षमता निर्माण संस्थानों की स्थापना शामिल हैं। अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय शांति सेना पारंपरिक रूप से योगदान देती रही है, जो फिलहाल दक्षिण सूडान, कांगो, लाइबेरिया और कोट डी ओइवॉइर में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनात है।

13.8 यूरोप

12वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन फरवरी 2012 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

यह यूरोपीय संघ की लिस्बन संधि के कार्यान्वयन के बाद भारत में पहला शिखर सम्मेलन स्तरीय विचार-विमर्श था। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और जर्मन चांसलर एंगेला मर्किल के बीच पहला भारत-जर्मन अंतर सरकारी विचार-विमर्श मई 2011 में नई दिल्ली में हुआ। एस्तोनिया ने फरवरी 2012 में नई दिल्ली में अपना आवासीय मिशन खोला ।

13.9 वैश्विक मुद्दे

भारत ने नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और इस समूह के अध्यक्ष पद की बागडोर संभाली। शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना की व्यावहारिकता का पता लगाने संबंधी निर्णय शामिल है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने नेतृत्व में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत के नेतृत्व में सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति ने सितम्बर 2011 में आयोजित विशेष बैठक में एक दस्तावेज स्वीकार किया जिसने आतंकवाद तथा आतंकवादी कार्यों को समर्थन के प्रति 'शून्य सहनशीलता' का सिद्धांत अपनाए जाने की परिकल्पना को संयुक्त राष्ट्र की विचारधारा में शामिल करा दिया है। भारत, वैश्विक आतंकवाद निरोधी मंच का भी संस्थापक सदस्य बना जिसकी स्थापना 29 देशों ने सितम्बर 2011 में न्यूयॉर्क में की।

अगस्त 2011 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर चर्चा आयोजित की जिसमें शांति सेना मिशनों के अधिकार क्षेत्र संबंधी फैसले लेने में उन देशों के साथ परामर्श के महत्व को रेखांकित किया गया जो शांति सेना के लिए सैनिक उपलब्ध कराते हैं। समान विचारधारा वाले अन्य देशों के साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के प्रति समर्थन जुटाने की भी मुख्य पहल शुरू की।

भारत ने परमाणु सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और परमाणु आतंकवाद के खतरे को कम करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देना जारी रखा। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह मार्च 2012 में सियोल में द्वितीय परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। जी-20 समूह में भारत ने विकास तथा वैश्विक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया।

13.10 सार्वजनिक कूटनीति और सांस्कृतिक कूटनीति

विभिन्न सार्वजनिक कूटनीति गतिविधियों के जरिए सरकार ने भारत और विदेशों में मौजूद विविध तथा प्रभावी जनसमूहों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए। उपराष्ट्रपति ने अक्तूबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों के प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसने देशभर के विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 300 विशेषज्ञों को जोड़ा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भारतीय संस्कृति को विदेशों में दर्शाने के प्रयासों के रूप में दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में 17 चेयर्स की स्थापना की।

13.11 पासपोर्ट सेवाएं

पासपोर्ट सेवा परियोजना का देश के ज्यादातर हिस्सों तक विस्तार किया गया और अब 70 पासपोर्ट सेवा केन्द्र काम कर रहे हैं। इस कलेंडर वर्ष के दौरान भारत में 58.7 लाख पासपोर्ट जारी करने सहित 75.7 लाख पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान की गईं।

विदेशों में भारतीय दूतावों ने और अधिक संख्या में आवेदकों को कॉन्सूलर और वीज़ा सेवाएं उपलब्ध कराईं; इस प्रक्रिया में उन्होंने सार्वजनिक-निजी-भागीदारी माध्यम का भी सहारा लिया।

13.12 प्रवासी भारतीय

प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों की वैश्विक सलाहकार परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की जिसमें दुनियाभर के 13 जाने-माने भारतीयों ने भाग लिया। परिषद के सदस्यों ने इस बात की प्रशंसा की कि परिषद की पिछली बैठकों के अनेक सुझावों को कार्यान्वित कर दिया गया है, जिनमें 'प्रवासी भारतीय नागरिकता' और 'भारतीय मूल के लोग' कार्डों को एक करना तथा प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार शामिल है। सदस्यों ने उच्चतर शिक्षा, आर्थिक सुधारों, कारगर प्रशासन तथा अनुसंधान एवं विकास कार्य को प्रोत्साहन देने की दिशा में और प्रयास करने के सुझाव दिए।

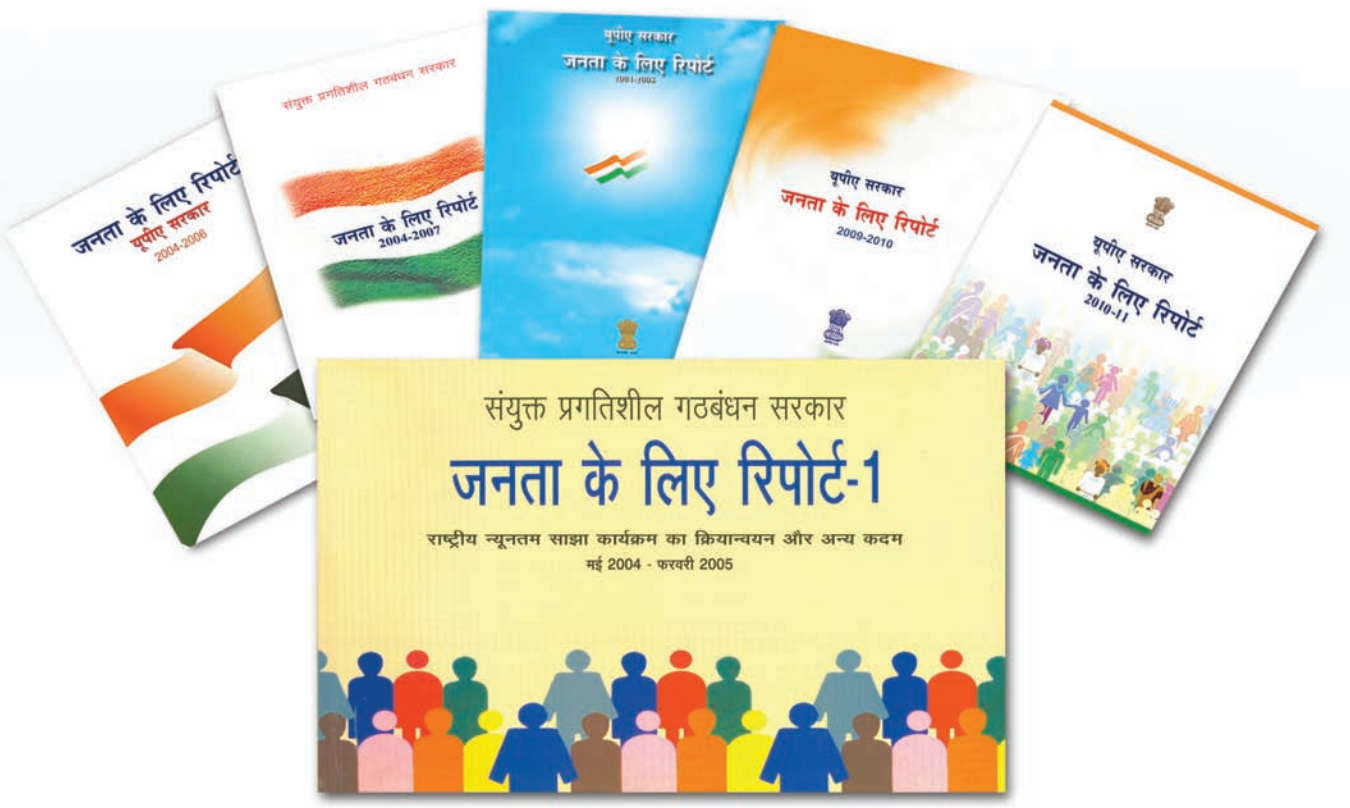
जनता के लिए रिपोर्ट
यूपीए सरकार
2004-2006
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार
जनता के लिए रिपोर्ट
2004-2007
यूपीए सरकार
जनता के लिए रिपोर्ट
2009-2010
यूपीए सरकार
जनता के लिए रिपोर्ट
2010-11
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार
जनता के लिए रिपोर्ट-1
राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का क्रियान्वयन और अन्य कदम
मई 2004 - फरवरी 2005

"इस सदी की दिशा तय करने में अग्रणी भूमिका निभाने को तत्पर"